



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की कार्यप्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2009.10

प्राक्कथन

कोषालय शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य एवं महत्वपूर्ण अंग है तथा वे राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । कोषालय अपने दायित्व का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें इसके लिये शासन ने संहिताएं नियमावलियां एवं प्रक्रियाएं निर्धारित कर रखी है । अतएव कोषालयों/उपकोषालयों की कार्य प्रणाली एवं विनिर्दिष्ट नियमों/प्रक्रियाओं के पालन में पाई गई कमियों पर इस कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया जाता है ।

कोषालयों/उपकोषालयों की कार्य प्रणाली पर आधारित वर्ष 2009-10 का यह वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तीन भागों में तैयार किया गया है । भाग-एक में कोषालयों की संरचना एवं संगठन का उल्लेख किया गया है । भाग दो में कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों के संकलन के दौरान पाई गई कमियां/त्रुटियां/अनियमितताएं दर्शाई गई हैं एवं भाग-तीन में कोषालयों /उपकोषालयों के निरीक्षण के दौरान इनकी कार्य प्रणाली से संबंधित संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं/कमियों को दर्शाया गया है ।

कोषालयों/उपकोषालयों की कार्यप्रणाली में नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करने में और सुधारों की आवश्यकता है । मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन उन्हें अनियमितताओं से बचने को प्रेरित करने में सहायक होगा ।

महालेखाकार
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम

ग्वालियर
दि.

मुख्य अंश

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2009-10 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य अंश/प्रमुखताएं निम्नानुसार हैं :-

- कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषित करने में 1 दिन से 12 दिन तक विलंब किया जाना ।

(कंडिका 2.4)

- व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना ।

(कंडिका 2.5.1)

- कोषालयों के रोकड़ लेखे में दर्ज आर.बी.डी. के अंक एवं बैंकों के आर.बी.डी. पत्रकों में दर्ज अंकों में अंतर पाया जाना ।

(कंडिका 2.9)

- पांचवें वेतन आयोग के सिफारिश पर पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण पर अतिरिक्त/अधिक कम्युटेशन मूल्य को गणना में लेने से पेंशन कम्युटेशन राशि रु. 28.87 लाख का अधिक भुगतान किया जाना ।

(कंडिका 3.3.1)

- सार्वजनिक बैंकों से परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन प्रकरणों की 2% निर्धारित जांच कोषालय द्वारा न किया जाना तथा परिवार पेंशन प्रकरणों में राशि रु. 39.92 लाख का अधिक भुगतान होना पाया जाना ।

(कंडिका 3.3.3 बी-II एवं ई)

- सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों का निर्धारित अवधि में भुगतान न किया जाना ।

(कंडिका 3.4.10)

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(एच) के प्रावधान अनुसार मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदाय कमीशन/छूट से आयकर एवं अधिभार की राशि रु. 3.35 करोड़ की कटौती स्रोत पर न किया जाना ।

(कंडिका 3.5.4)

➤ प्राकृतिक आपदा के आकस्मिक मामलों में बिना बजट के भुगतान करने से संबंधित कोषालय नियम-27 का गलत उपयोग करके राशि रू. 75.03 करोड़ का अनियमित आहरण किया जाना ।

(कंडिका 3.5.9)

➤ सहायक अनुदान/अंशदान देयकों को कोषालयों में गलत प्रपत्र पर प्रस्तुत कर राशि रू. 51.43 लाख का अनियमित आहरण किया जाना ।

(कंडिका 3.5.10)

➤ बजट आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिये अखर्चित राशियों का अनियमित आहरण कर राशि रू. 246.43 करोड़ का व्यक्तिगत जमा खातों/बैंक खातों में जमा किया जाना ।

(कंडिका 3.5.11)

➤ तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व जमा की राशियों को व्यपगत न करके राशि रू. 199.01 लाख का अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने से अवरुद्ध रखा जाना ।

(कंडिका 3.6.2)

➤ राज्य की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर ऋण नामें द्वारा बन्द न करके राशि रू. 147.82 करोड़ का अवरुद्ध रखा जाना

(कंडिका 3.6.3)

➤ तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों की राशि को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण न करके राशि रू. 5.77 करोड़ का अवरुद्ध रखा जाना ।

(कंडिका 3.6.6)

➤ कोषालय के दृढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना ।

(कंडिका 3.8.1)

➤ मुद्रांको का निर्धारित सीमा से राशि रू. 481.89 करोड़ का अधिक भण्डारण ।

(कंडिका 3.9.2)

➤ गैर अदालती मुद्रांक के विक्रय हेतु अधिकृत मुद्रांक विक्रेताओं को न्यायिक मुद्रांक जारी कर अनाधिकृत कमीशन प्रदाय किया जाना राशि रू. 19.86 लाख ।

(कंडिका 3.9.4)

- कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली के साफ्टवेयर में पाई गई कमियां ।

(कंडिका 3.10.8)

- कोषालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रदाय यात्रा अग्रिम राशि रु. 1.21 लाख का समायोजन न किया जाना ।

(कंडिका 3.11.2)

- माननीय विधायकों से दूरभाष एवं आवास किराया की राशि रु. 92636.00 वसूली न किया जाना ।

(कंडिका 3.11.3)

कोषालयों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2009-10

भाग-1

प्रस्तावना -

मध्य प्रदेश राज्य के सभी कोषालय/उप कोषालय, आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। कोषालय की कार्य प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रभार में हैं। प्रत्येक कोषालय, कोषालय अधिकारी एवं उप कोषालय, उप कोषालय अधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषालय अपने तथा अधीनस्थ उपकोषालयों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर को प्रेषित करते हैं।

संरचना/संगठन -

मध्य प्रदेश राज्य में कुल 53 कोषालय एवं 159 उपकोषालय हैं। सभी कोषालय/उप कोषालय, बैंकिंग कोषालय/उपकोषालय के रूप में कार्यरत हैं। (परिशिष्ट संख्या 1)

उक्त कोषालयों एवं उपकोषालयों में से 53 कोषालयों एवं 89 उपकोषालयों (वार्षिक एवं द्विवार्षिक) का निरीक्षण वर्ष 2009-10 में किया गया। (परिशिष्ट संख्या 2)

कोषालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति-

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
2008-09	1975	1661	1282	379
योग	1975	1661	1282	379

भाग-2

लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां/विसंगतियां

2.1 लेखों के तैयार करने में पाई गई कमियां

2.1.1 लेखों के संकलन के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-3 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा राशियों का गलत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दर्ज कर त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण कर लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया गया ।

2.1.2 कोषालयों द्वारा रोकड़ लेखे के संक्षिप्त सार तथा राज्य अदायगी सूची में दर्शाये गये आंकड़ों, राज्य अदायगी सूची एवं भुगतान अनुसूची में दर्शाये गये आंकड़ों में अंतर, ऐसे मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राशि का वर्गीकरण जो राज्य लेखों से संबंधित नहीं है, रोकड़ लेखे एवं राज्य अदायगी सूची के कुल योग में अंतर एवं गलत शीर्ष में वर्गीकृत राशि को कोषालय उचंत के अंतर्गत रखा जाता है । वर्ष 2008-09 में कोषालय द्वारा भेजे गये लेखे में उक्त कमियों के कारण कोषालय उचंत के अंतर्गत भुगतान पक्ष में राशि रु. 51692337.81 के 81 धनात्मक मदें तथा राशि रु. 4937093.00 के 63 ऋणात्मक मदें दर्ज की गई थी । इस प्रकार कुल 144 मदों को कोषालय उचंत के अंतर्गत दर्ज किया गया जिनमें 143 मदों की राशि रु. 43605244.81 का समायोजन वित्त वर्ष 2008-09 में ही किया जा चुका है तथा कोषालय विन्ध्याचल (भोपाल) के मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास की शेष 1 मद की राशि रु. 3150000.00 का समायोजन भी वित्त वर्ष 2009-10 (6/09) में कर लिया गया है ।

2.2 रेलवे पेंशन के बकाया दावे

वर्ष 2008-09 से संबंधित रेलवे पेंशन के कोई भी दावे प्रतिपूर्ति हेतु बकाया नहीं हैं परंतु वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के परिशिष्ट संख्या 4 में दर्शाये अनुसार राशि रु. 339601.00 के पेंशन दावों के प्रमाणक कोषालयों से प्राप्त न होने के कारण उक्त दावे अभी भी मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में प्रतिपूर्ति हेतु बकाया हैं ।

2.3 कोषालयों से अप्राप्त प्रमाणकों की सूची

कोषालयों द्वारा अपने मासिक लेखों के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किये गये प्रमाणकों में से वर्ष 2008-09 में कुल राशि रु. 181330736.00 के 635 प्रमाणक अप्राप्त थे जिस कारण उन्हें आपत्ति पुस्तिका उच्चंत खातों में दर्ज किया गया ।

वर्ष 2008-09 के दौरान उक्त सभी मदों का निराकरण किया गया है एवं माह मार्च, 2009 के अन्त में कोई भी राशि आपत्ति पुस्तिका में बकाया नहीं रही । मासिक लेखे के साथ प्रमाणक प्राप्त न होने के कारण संबंधित माह में लेन देनों को सही शीर्ष में नहीं दर्शाया जा सका ।

2.4 कोषालयों से मासिक लेखा प्राप्ति में विलंब

समस्त कोषालय अधिकारी निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम म.प्र. ग्वालियर को उनके कोषालय के मासिक लेखा प्रेषण हेतु उत्तरदायी हैं। लेखे की प्रथम सूची जिसमें माह की एक तारीख से दस तारीख तक के लेन देन सम्मिलित रहते हैं, उसी माह की तेरह तारीख से सत्रह तारीख के मध्य महालेखाकार कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये। लेखे की द्वितीय सूची जिसमें ग्यारह तारीख से माह के अंतिम दिन तक के लेन देनों का समावेश होता है, अगले माह की पाँच से आठ तारीख तक इस कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये।

समीक्षा में पाया गया है कि वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 636 लेखों में से 155 लेखे विलम्ब से प्राप्त हुये है। कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषण में सामान्यतः 1 से 12 दिनों का विलम्ब किया गया है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या-5 में दर्शाया गया है।

2.5 जमा एवं अग्रिम के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों का निराकरण

2.5.1 मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 558 के अनुसार मासिक निक्षेप पत्रकों के साथ प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 69 में एक धन तथा ऋण ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत निक्षेपों सहित निक्षेप के प्रत्येक शीर्ष के अधीन प्रारंभिक शेष, प्राप्ति, वापसी, भुगतान तथा अंतिम शेष दर्शाया जाना चाहिए।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में परिशिष्ट संख्या-6 में दिये गये विवरण अनुसार विभिन्न कोषालयों से धन ऋण पत्रक नियमित रूप से प्राप्त न होने/त्रुटिपूर्ण धन ऋण पत्रक प्राप्त होने/आंकड़ों का नियमित मिलान न होने से 113 पी.डी. खातों में कुल राशि रु. 1777071616.25 का ऋणात्मक शेष परिलिखित होने से उक्त राशि का समायोजन होना शेष है।

2.5.2 वर्ष 2008-09 के दौरान ऋण एवं जमा शीर्ष के अंतर्गत परिशिष्ट संख्या-7 में दिये विवरण अनुसार कुल राशि रु. 1364198571.00 मुख्य शीर्ष 8009 विभागीय भविष्य निधि के अंतर्गत प्रतिकूल शेष लंबित है।

2.6 कोषालयों से वांछित अनुसूचियों के प्राप्ति में विलंब

2.6.1 वर्ष 2008-09 के अन्त तक अप्राप्त/विलम्ब से प्राप्त से प्राप्त वी.डी.एम.एस.

कार्य विधि के अनुसार मासिक तिथिवार आय-व्यय पत्रक (डी.एम.एस.) जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद बैंक शाखाओं को एक प्रति वापस कर दो प्रतियाँ

कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर को डाक द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक मिल जाना चाहिये, परन्तु ये पत्रक कुछ मामलों में या तो प्राप्त ही नहीं होते हैं या काफी विलम्ब से प्राप्त होते हैं जिसके कारण आर.बी.डी. के अंतर्गत विसंगतियों का निराकरण प्रभावित होता है ।

वर्ष 2008-09 में अप्राप्त सत्यापित मासिक तिथिवार आय-व्यय पत्रकों(व्ही.डी.एम.एस.) का कोषालयवार/बैंकवार विवरण परिशिष्ट संख्या-8 में दर्शाया गया है ।

2.6.2 अप्राप्त पी.एल.आई. की अनुसूची

वर्ष 2008-09 में राज्य अदायगी सूची/रोकड़ लेखा में दर्शित आंकड़ों के आधार पर निम्न विवरण अनुसार पी.एल.आई. की अनुसूची अप्राप्त रही ।

कोषालय का नाम	राज्य अदायगी सूची अथवा रोकड़ लेखा	माह	शीर्ष	राशि
श्यापुर	रोकड़ लेखा	5/08	8658-उचंत लेखा, 102-उचंत लेखा(सिविल), ट-महालेखाकार के साथ लेखा, पी.एल.आई.	664.00

2.7 कोषालयों में लेखों का संकलन एवं महालेखाकार को लेखा भेजना विषय पर प्राद्योगिकी लेखा परीक्षा का अवलोकन

2.7.1 शहरी कोषालय का आंशिक कम्प्यूटरीकरण

----निरंक----

2.7.2 अनाधिकृत वर्गीकरण का डाटाबेस में सम्मिलित किया जाना तथा अवैध लेखा शीर्षों के साथ देयकों को पारित किया जाना

----निरंक----

2.7.3 मुख्य लेखा तैयार/जनन (Generate) करते समय सुधार पत्रकों (Alteration Memoes) का लेखा में सम्मिलित न करना

----निरंक----

2.8 कोषालयों में दैनिक लेखों की प्रविष्टि की जांच

----निरंक----

2.9 रिजर्व बैंक जमा पंजी

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत मासिक लेखों की जांच में पाया गया कि कुछ मामलों में रोकड़ लेखे में दर्ज आर.बी.डी. के अंक एवं बैंकों के आर.बी.डी. पत्रकों के अंकों में अंतर है । वर्ष 2008-09 के जिन मामलों में अंतर पाया गया उनका विवरण परिशिष्ट संख्या – “9 अ,ब,स” में दर्शाया गया है ।

2.10 भुगतानकर्ता बैंक से दैनिक प्राप्ति एवं भुगतान स्कोल्स

कार्य विधि के अनुसार मासिक तिथिवार आय-व्यय पत्रक (डी.एम.एस.) जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद बैंक शाखाओं को एक प्रति वापस कर दो प्रतियाँ कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर को डाक द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक मिल जाना चाहिये, परन्तु ये पत्रक कुछ मामलों में या तो प्राप्त ही नहीं होते हैं या काफी विलम्ब से प्राप्त होते हैं जिसके कारण आर.बी.डी. के अंतर्गत विसंगतियों का निराकरण प्रभावित होता है ।

वर्ष 2008-09 में अप्राप्त सत्यापित मासिक तिथिवार आय-व्यय पत्रकों(व्ही.डी.एम.एस.) का कोषालयवार/बैंकवार विवरण परिशिष्ट संख्या-8 में दर्शाया गया है ।

2.11 कोषालय विन्ध्याचल भवन भोपाल द्वारा राशि रु. 3150000.00 का अधिक भुगतान किया जाना

विशेष कर्तव्यस्त अधिकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल द्वारा माह मार्च 2009 में कोषालय विन्ध्याचल भोपाल में प्रस्तुत देयक क्रमांक 567 दिनांक 07.3.09 राशि रु. 350000.00 के विरुद्ध कोषालय द्वारा राशि रु. 3500000.00 का भुगतान किया गया । इस प्रकार कोषालय विन्ध्याचल द्वारा रु. 3150000.00 का अधिक भुगतान किया गया । अधिक भुगतान राशि रु. 31.50 लाख को उक्त आहरण अधिकारी द्वारा माह मई 2009 में चालान क्रमांक 3642557/115 दिनांक 04.5.09 से भारतीय स्टेट बैंक विन्ध्याचल भवन भोपाल शाखा में जमा किया गया ।

भाग-3

वर्ष 2008-09 के दौरान कोषालयों/उपकोषालयों के निरीक्षण एवं व्यय लेखा परीक्षा के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियां एवं अन्य अनियमिततायें

3.1 वर्ष 2008-09 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालय एवं उपकोषालय का विवरण

इस कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा कोषालयों/उपकोषालयों का निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण का उद्देश्य राजस्व अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था के संचालन में सहयोग देना है जिससे सभी कोषालय निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य कर सकें। समीक्षा वर्ष 2008-09 के दौरान इस कार्यालय द्वारा 53 कोषालयों एवं 89 उपकोषालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उपकोषालयों का विवरण परिशिष्ट संख्या-2 में दर्शाया गया है।

3.2 (अ) वर्ष 2008-09 में लंबित निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है -

कंडिकाओं का विवरण	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
दिनांक 01.04.2008 को प्रारंभिक शेष	355	1302	17	35
वर्ष के दौरान वृद्धि	55	425	—	—
योग	410	1727	17	35
वर्ष के दौरान निराकरण	209	881	12	27
दि.31.3.09 को अंतशेष	201	846	5	8

(ब) निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है -

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
95-96	1	4	0	0
96-97	0	0	0	0
97-98	1	11	0	0
98-99	0	0	0	0
99-2000	1	1	0	0
2000-01	2	2	0	0
2001-02	1	1	1	2

2002-03	2	2	3	4
2003-04	1	1	1	2
2004-05	4	4	0	0
2005-06	11	13	0	0
2006-07	17	33	0	0
2007-08	105	349	0	0
2008-09	55	425	0	0
कुल योग	201	846	5	8

लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु आयुक्त/क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा कोषालय अधिकारियों का लगातार ध्यान आकृष्ट किये जाने तथा उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा राज्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कंडिकाओं की समीक्षा उपरांत उनके निराकरण के फलस्वरूप समीक्षा वर्ष 2008-09 में 209 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 881 कंडिकाओं तथा 12 व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं 27 कंडिकाओं का निराकरण किया गया। दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 201 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 846 कंडिकायें एवं 5 व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की 8 कंडिकायें लंबित हैं।

3.3 पेंशन से संबंधित प्रकरण

3.3.1 अधिक/अनियमित/अपात्र पेंशन का भुगतान

पांचवे वेतन आयोग के फलस्वरूप पुनरीक्षित पेंशन के अतिरिक्त सारांशीकृत मूल्यों की राशि में अधिक भुगतान

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9/8/2002/नियम चार दिनांक 25.10.02 के द्वारा शासन ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन सारांशिकरण नियम 1996 के विषय में स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि पेंशन कम्प्यूटेशन की व्यवस्था में यह सिद्धांत निहित है कि पेंशन कम्प्यूटेशन मूल्य, आगामी वर्षों में पेंशन से होने वाली कटौतियों की राशि की एक निर्धारित दर पर डिस्काउंट करते हुए प्रगणित की गई राशि के बराबर होगी अतः यदि कम्प्यूटेशन के कारण पेंशन की रकम में कटौती विलम्ब से प्रारंभ होती है तो पेंशन के कम्प्यूटेड मूल्य में भी तदनुसार परिवर्तन होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर शासन को अनावश्यक रूप से वित्तीय हानि उठानी पड़ती है तथा पेंशन कम्प्यूटेशन अंतर्गत किया गया संव्यवहार दोनों पक्षों के लिये समरूप नहीं रहता।

अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि पेंशन के कम्प्यूटेशन के मूल्य की गणना उसी वर्ष में आयु के आधार पर की जाये जिस वर्ष में पेंशन की कटौती प्रारंभ हो तथा यह व्यवस्था मूल पेंशन एवं पुनरीक्षित पेंशन दोनों के मामलों में समान रूप से लागू की जाये ।

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन कम्प्यूटेशन) नियम 1996 के अंतर्गत ऐसे सभी प्रकरण जिनमें नियम 8 की गलत व्याख्या के कारण अधिक भुगतान हो गया उसकी पेंशनों से वसूली तत्काल संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा / जिला कोषालय द्वारा सुनिश्चित की जावे । इस संबंध में दिनांक 1.1.96 के पश्चात सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के प्रकरण जिन्हें दिनांक 1.3.98 के पश्चात पांचवे वेतनमान के संदर्भ में पुनरीक्षित किया गया हो तथा उक्त पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त कम्प्यूटेशन मूल्य का भुगतान किया गया हो, को विशेष रूप से देखा जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में विभिन्न कोषालयों के निरीक्षण में पाया गया कि दि. 1.1.96 के पश्चात सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 1.3.98 के पश्चात पांचवे वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया है तथा पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त कम्प्यूटेशन मूल्य का भुगतान किया गया है । किन्तु पुनरीक्षित पेंशन में से सारांशीकृत राशि की गणना विभाग के उक्त आदेश 25.10.02 के पैरा 4 के अनुसार पेंशन की कटौती प्रारंभ होने के वर्ष की आयु के आधार पर नहीं की गई है । जिस कारण परिशिष्ट संख्या-10 में वर्णित कोषालयों द्वारा 394 प्रकरणों में राशि रु. 28.87 लाख का अधिक भुगतान किया गया है । कोषालयों द्वारा इन प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

3.3.2 तीन वर्ष से अधिक अनाहरित पेंशन

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 387 के अनुसार उपदान भुगतान आदेश तथा पेंशन भुगतान आदेश क्रमशः एक वर्ष एवं 6 वर्ष तक प्रभावशील रहेंगे, तत्पश्चात उक्त भुगतान आदेशों को संवितरण कार्यालय में रोके नहीं जायेंगे । भुगतान आदेशों का पुनर्वैधीकरण कराया जाना आवश्यक है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय होशंगाबाद में परिशिष्ट संख्या-11 में दिये गये विवरण अनुसार कुल 3 उपदान/पेंशन भुगतान आदेश तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित है जिनमें उक्त नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई है ।

3.3.3 पेंशन पैकेज का सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा

(ए) पेंशन भुगतान आदेशों के प्रथम भुगतान पर अधिक/कम भुगतान की निगरानी न रखा जाना

---निरंक---

(बी) पेंशन भुगतान प्रकरणों की समीक्षा निर्धारित अवधि में न किया जाना

(I) मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9/8/2002/नियम चार दिनांक 25.10.02 के द्वारा शासन ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन सारांशिकरण नियम 1996 के विषय में स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह निर्देश जारी किये गये हैं कि –

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन कम्प्यूटेशन) नियम 1996 के अंतर्गत ऐसे सभी प्रकरण जिनमें नियम 8 की गलत व्याख्या के कारण अधिक भुगतान हो गया उसकी पेंशनों से वसूली तत्काल संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा /जिला कोषालय द्वारा सुनिश्चित की जावे । इस संबंध में दिनांक 1.1.96 के पश्चात सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के प्रकरण जिन्हें दिनांक 1.3.98 के पश्चात पांचवे वेतनमान के संदर्भ में पुनरीक्षित किया गया हो तथा उक्त पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त कम्प्यूटेशन मूल्य का भुगतान किया गया हो, को विशेष रूप से देखा जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-10 में दिये गये विवरण अनुसार 33 कोषालयों द्वारा दिनांक 1.1.96 के पश्चात सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दि. 1.3.98 के पश्चात पांचवे वेतनमान में पुनरीक्षित कर अतिरिक्त कम्प्यूटेशन मूल्य का भुगतान भी किया गया है । किन्तु वित्त विभाग के आदेशों के पालन में पुनरीक्षित सारांशीकरण में प्रदाय अतिरिक्त कम्प्यूटेशन मूल्य के प्रकरणों की समीक्षा नहीं की गई है और न ही इस संबंध में प्रदाय अधिक राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की गई है ।

(II) संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र. कोष/प्रचालन/पेंशन/पी.पी.ओ./141 दिनांक 10.8.2000 के अनुसार पेंशनरों के मासिक पेंशन भुगतान हेतु कोषालयों द्वारा विभिन्न बैंकों को स्थानांतरित पेंशन प्रकरणों में पेंशन का भुगतान सही होने के उद्देश्य से निर्देश जारी किये गये हैं कि कोषालय अधिकारी अपने जिले के कुल पेंशनरों की संख्या के दो प्रतिशत के बराबर प्रकरणों की जांच प्रत्येक माह करेंगे। उक्त जांच निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगी –

- (i) जांच हेतु उक्त आदेशानुसार निर्धारित प्रपत्र में पंजी तैयार की जानी चाहिये ।
- (ii) यदि किसी बैंक शाखा में एक प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में बैंक द्वारा प्रदत्त एवं कोषालय द्वारा संगणित राशि में अंतर हो तो उस बैंक शाखा के सभी प्रकरणों की जांच करें।
- (iii) दिनांक 31.10.2000 तक सभी कोषालय अधिकारी अपनी पी.पी.ओ. पंजियों को बैंक स्कूल के अनुसार अद्यतन करायें, यदि स्कूल एवं पी.पी.ओ. पंजी में भिन्नता पाई जाती है तो त्रुटि के लिये संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-12 में दर्शाये गये 34 कोषालयों द्वारा उपरोक्त निर्धारित जांच न कराया जाना तथा निर्देशानुसार निर्धारित पंजी कोषालयों में संधारित न किया जाना पाया गया ।

(सी) पेंशन पैकेज में अपूर्ण जानकारी तथा अपर्याप्त वैधीकरण

(i) मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण हेतु उनके मूल पेंशन में 50% मंहगाई वेतन जोड़कर पेंशन जो रू. 1275.00 से कम न हो, स्वीकृत की जाती है । इस प्रकार निर्धारित पेंशन राशि पर मंहगाई वेतन पुनः प्रदाय करने का विकल्प कम्प्यूटर प्रणाली में नहीं होना चाहिए । परंतु जिला कोषालय भोपाल के निरीक्षण में पाया गया कि जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पेंशन उक्त प्रक्रिया अनुसार रू. 1275.00 निर्धारित किया गया उस पर पुनः मंहगाई वेतन की राशि जोड़ कर परिशिष्ट संख्या-13 में दर्शाये गये विवरणानुसार कुल राशि रू. 88539 का अधिक भुगतान किया गया है ।

(ii) मध्य प्रदेश पेंशन नियमों के अनुसार परिवार पेंशन की राशि एक निश्चित अवधि अर्थात् पेंशनर के मृत्यु के पश्चात 7 वर्ष तक अथवा उसकी 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक बढी दर से प्रदाय की जाती है । तदपश्चात परिवार पेंशन की राशि सामान्य दर जो बढी दर से प्रदाय राशि से अधिक न हो, से भुगतान की जाती है । इस आशय का उल्लेख पेंशन भुगतान आदेश में किया जाता है । वर्ष 2008-09 के दौरान नगर कोषालय इंदौर के निरीक्षण के समय पाया गया कि कोषालय द्वारा परिशिष्ट संख्या-14 में दर्शाये गये पेंशन प्रकरणों में सामान्य दर से प्रदाय की जाने वाली परिवार पेंशन राशि का बढी दर से अधिक होने के आदेश पेंशन भुगतान आदेश में जारी किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है ।

(डी) पुर्ननियुक्ति पर बकाया अपात्र पेंशन का भुगतान

---निरंक---

(ई) निर्धारित तिथि के पश्चात भी उच्च दर पर परिवार पेंशन का भुगतान

संचालक, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/कोष/प्राक्कलन/पेंशन/पी.पी.ओ./141 दिनांक 10.08.2000 के परिपालन में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा भुगतान किये जा रहे पेंशन प्रकरणों की नियमित जांच कोषालय द्वारा न किये जाने से वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-12 में वर्णित कोषालयों के अंतर्गत सार्वजनिक बैंकों द्वारा परिवार पेंशन के प्रकरणों में बढ़ी दर से भुगतान करना जारी रहा जिससे 165 प्रकरणों में राशि रु. 39.92 लाख का अधिक भुगतान किया गया ।

(एफ) पेंशनर के मृत्यु उपरांत अवितरित पेंशन राशि को शासकीय लेखे में जमा न किया जाना

---निरंक---

(जी) वार्षिक जीवित प्रमाण पत्र का सत्यापन न कराया जाना

---निरंक---

(एच) पेंशनर/परिवार पेंशनर के मृत्यु उपरांत पेंशन भुगतान आदेश का संवितरण भाग (Disbursers' portion) महालेखाकार कार्यालय को वापस न भेजा जाना

---निरंक---

(आई) पेंशन/परिवार पेंशन की त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण का प्रकरण

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9/8/2002/नियम चार दिनांक 25.10.02 के द्वारा शासन ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन सारांशिकरण नियम 1996 के विषय में स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि पेंशन कम्प्यूटेशन की व्यवस्था में यह सिद्धांत निहित है कि पेंशन कम्प्यूटेशन मूल्य, आगामी वर्षों में पेंशन से होने वाली कटौतियों की राशि की एक निर्धारित दर पर डिस्काउंट करते हुए प्रगणित की गई राशि के बराबर होगी अतः यदि कम्प्यूटेशन के कारण पेंशन की रकम में कटौती विलम्ब से

प्रारंभ होती है तो पेंशन के कम्प्यूटेड मूल्य में भी तदनुसार परिवर्तन होना आवश्यक है ।

अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि पेंशन के कम्प्यूटेशन के मूल्य की गणना उसी वर्ष में आयु के आधार पर की जाये जिस वर्ष में पेंशन की कटौती प्रारंभ हो तथा यह व्यवस्था मूल पेंशन एवं पुनरीक्षित पेंशन दोनों के मामलों में समान रूप से लागू की जाये ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-10 में दिये गये विवरण अनुसार कुल 394 प्रकरणों में सारांशीकरण का त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण किया गया है ।

(जे) प्रकरणों जिनमें अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं

----निरंक----

3.4 सामान्य भविष्य निधि से संबंधित कार्य

3.4.1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खातों के संधारण में अनियमिततायें

कोषालयीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विभागीय भविष्य निधि संधारण कोषालय द्वारा किया जाता है जिसमें ब्याज की गणना नियमानुकूल होना कोषालय का दायित्व है । तथा कर्मचारियों के खातों का नियमित वार्षिक संवरण किया जाना चाहिये । समीक्षा वर्ष 2008-09 में कोषालय वल्लभ भवन (भोपाल) तथा शिवपुरी में संधारित विभागीय भविष्य निधि खातों में वार्षिक संवरण के दौरान ब्याज की गणना में विसंगतियां पाई गई है । इसी प्रकार कोषालय शहडोल तथा विन्ध्याचल(भोपाल) में संधारित विभागीय खातों का नियमित वार्षिक संवरण नहीं किया जाना पाया गया है ।

3.4.2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखे में ऋणात्मक शेष प्रकट होना

----निरंक----

3.4.3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि पैकेज में डाटा की अविश्वसनीयता

----निरंक----

3.4.4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि पैकेज में अपूर्ण जानकारी

----निरंक----

3.4.5 सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों में अधिक भुगतान

प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीधी जिला कटनी द्वारा सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम आहरण का देयक राशि रू. 36300.00 जिला कोषालय कटनी में माह 11/08 में पारित एवं भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था, किन्तु कोषालय अधिकारी कटनी के द्वारा उक्त देयक के विरुद्ध माह 11/08 में रू. 36500.00 का चैक जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त देयक में रू. 200.00 का अधिक भुगतान किया गया है।

3.4.6 कोषालयों में सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान के फर्जी प्रकरण प्रस्तुत किया जाना

----निरंक----

3.4.7 अपात्र/गलत व्यक्ति को भुगतान किया जाना

----निरंक----

3.4.8 सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत लेन देनों का गलत वर्गीकरण

मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 के नियम 32 के अंतर्गत ज्ञापन-1699 /291/चार-नि-2/71 दिनांक 28.7.1971 में स्पष्ट उल्लेख है कि सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान राशि से मध्य प्रदेश शासन को देय किसी प्रकार की वसूली नहीं की जावे। परंतु वन मण्डल अधिकारी (सामाजिक वानिकी) होशंगाबाद द्वारा स्वर्गीय श्री बी.एम. रैकवार को सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान हेतु प्राधिकृत राशि रू. 123104.00 में से स्कूटर अग्रिम पर ब्याज रू. 12067.00 की वसूली तथा निवल राशि रू. 111037.00 दर्शाकर देयक क्रमांक 49 (व्हा.क्र. 52), माह जनवरी 2009 कोषालय में प्रस्तुत किये गये हैं जिसे कोषालय अधिकारी द्वारा पारित कर राशि रू. 111037.00 का चैक जारी किया गया है।

इस प्रकार कोषालय होशंगाबाद द्वारा उपरोक्त निर्देशों के विपरीत सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान राशि से स्कूटर अग्रिम पर ब्याज की कटौती स्वीकृत कर वित्तीय अनियमितता की गई है।

3.4.9 सामान्य भविष्य निधि/गृह निर्माण अग्रिम/मोटर वाहन अग्रिम से संबंधित अनुसूचियां/चालानों का प्रस्तुत न किया जाना

----निरंक----

3.4.10 सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित छःमाह की समयावधि में भुगतान न किया जाना

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र./को.प्र.लेखा/16-17/2004/52 दिनांक 18.6.04 द्वारा कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे सा.भ.नि. अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर आहरण अधिकारियों से समन्वय कर तुरन्त भुगतान संबंधी आवश्यक कार्यवाही करें ।

पुनः मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक एफ-5/4/2005/नि./चार दिनांक 29.6.05 निर्देश जारी किये गये है कि सेवा निवृत्त शासकीय सेवक के सा.भ.नि. अंतिम भुगतान के प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं तथा आहरण अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवादी बनाते हैं, इस कारण अनावश्यक श्रम एवं समय लगता है तथा शासन पर कई मामलों में वित्तीय भार भी आता है। इसके अलावा विलम्ब से उक्त भुगतान के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा ब्याज की राशि की हानि भी उठानी पड़ती है ।

महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी सा.भ.नि. अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों की वैधता अवधि, जारी किये जाने वाले माह से आगामी छःमाह तक रहती है । यदि उक्त अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो वैधता अवधि समाप्त हो जाती है तथा ऐसे प्राधिकार पत्रों के पुनर्वैधीकरण महालेखाकार से कराने हेतु कार्यवाही की जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-15 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी कुल 273 प्राधिकार पत्रों पर राशि रू. 356.22 लाख का भुगतान आहरण अधिकारियों से समन्वय करके जारी होने के दिनांक से छःमाह की (वैधता) अवधि में भी नहीं किया गया तथा किन्ही में पुनर्वैधीकरण की कार्यवाही भी लंबित पाई गयी।

3.4.11 सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों में कम भुगतान

वन मण्डल अधिकारी, नरसिंहपुर के द्वारा माह 10/08 में सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु रू. 114937.00 का देयक कोषालय नरसिंहपुर में प्रस्तुत किया गया था जिसे कोषालय अधिकारी द्वारा पारित कर रू. 114397.00 का चैक जारी किया गया है । इस प्रकार उक्त देयक में रू. 540.00 का कम भुगतान किया गया है ।

3.5 लेखा से संबंधित क्षेत्र

3.5.1 जिला ग्रन्थालय संस्था द्वारा अनिवार्य बचत योजना लेखा से अनियमित आहरण

-----निरंक-----

3.5.2 (i) मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत ए.सी. बिलों के माध्यम से आहरित राशि के डी.सी. बिल प्रस्तुत न किया जाना

-----निरंक-----

(ii) अन्य ए.सी. बिलों के विरुद्ध डी.सी. बिल प्रस्तुत न किया जाना

उन आकस्मिक व्यय को छोड़कर जिनके लिये भुगतान के पूर्व प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित है, इस समूह के अधीन आने वाले आकस्मिक प्रभारों को कोषालय से प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 35 पर संक्षिप्त देयक प्रस्तुत कर आहरण किया जा सकता है, बशर्ते कि नियंत्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षरार्थ तथा पश्चात विहित विधि के अनुसार महालेखाकार को भेजने हेतु विस्तृत देयक प्रस्तुत किये जायें ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 के दौरान मुख्य शीर्ष 2204 के अंतर्गत राशि रु. 15856417.00 का ए.सी. बिलों द्वारा आहरण एवं राशि रु. 50040982.00 का डी.सी. बिलों के समायोजन किया जाना पाया गया जिनमें पूर्व वर्षों के ए.सी. बिल भी सम्मिलित है ।

3.5.3 पेंशनरों से स्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना

-----निरंक-----

3.5.4 स्रोत पर आयकर की कटौती से संबंधित शासन-निर्देश का पालन न किया जाना

मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन से स्रोत पर आयकर एवं अधिभार की कटौती न किया जाना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (एच) के अनुसार दिनांक 1.6.01 से कोषालय से देय कमीशन/दलाली (ब्रोकरेज) यदि एक वित्तीय वर्ष में कमीशन की राशि रु.2500.00 से अधिक है तो सम्पूर्ण राशि पर समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार कोषालय अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले ऐसे कमीशन या ब्रोकरेज पर आयकर एवं अधिभार की कटौती स्रोत पर ही की जानी चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-16 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा शासन निर्देश का पालन नहीं किया गया है तथा दिनांक 1.6.01 से अनुज्ञप्त मुद्रांक विक्रेताओं को विक्रय किये गये मुद्रांकों पर देय कमीशन/छूट से समय समय पर निर्धारित दर से आयकर एवं अधिभार की राशि रु. 3.35 करोड़ कटौती स्रोत से नहीं की गई है ।

3.5.5 विभागीय प्राप्ति एवं भुगतानों का सत्यापन कोषालयीन अभिलेख से न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक 1889/1843/2001/सी/चार, दि. 5.10.01 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की प्रतिमाह पुष्टि कराई जाना अनिवार्य होगा । इस संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि -

(1) मासिक लेखा प्रेषण के तत्काल पश्चात कोषालय से संबंधित समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को उनसे संबंधित राजस्व शीर्ष में विगत माह में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की अनुसूची प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रदाय की जावेगी ।

(2) कार्यालय प्रमुख उक्त सूची में दर्शाई समस्त चालानों की राशि की पुष्टि कार्यालयीन अभिलेख से कर सत्यापित सूची कोषालय को माह की 20 तारीख के पूर्व वापिस लौटाई जावेगी । यदि सूची के विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है तब आहरण अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल कोषालय अधिकारी से संपर्क कर त्रुटि का समाधान करावें ।

इसी प्रकार वित्त विभाग क्रमांक 2570/3359/2000/सी/चार, दिनांक 12.12.2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य शासन के कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालय से किये गये समस्त आहरणों की प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण कराई जाना अनिवार्य किया गया है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-17 में दर्शाये गये 37 कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा राज्य शासन के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है ।

3.5.6 जमा शेषों के धन ऋण ज्ञापन में त्रुटि के फलस्वरूप ऋणात्मक शेष

----निरंक----

3.5.7 ऋण जमा शेषों के अंतर्गत लेन देनों का गलत वर्गीकरण

----निरंक----

3.5.8 आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार आवंटन पत्रों का कोषालय में उपलब्ध न होना

मध्य प्रदेश में लागू नहीं है क्योंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार आवंटन आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के कार्यालय स्थित केन्द्रीय सर्वर में दर्ज है तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार आवंटन के अंतर्गत आहरण/व्यय का नियंत्रण भी केन्द्रीय सर्वर से किया जाता है ।

3.5.9 कोषालय नियम 27 (टी.आर. 27) के अंतर्गत राशियों का अनियमित आहरण

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के नियम 27 के अनुसार आवश्यकता की परिस्थितियों में कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा इन नियमों के उपबंधों का पालन किये बगैर कोषालय अधिकारी को पेंशन भुगतान को छोड़कर, कोई भी भुगतान करने के लिये अधिकृत कर सकता है । ऐसे प्रकरण में कलेक्टर अपने आदेश की प्रति तथा ऐसी परिस्थितियां दर्शाने वाला प्रपत्र तुरन्त महालेखाकार को भेजेगा तथा कोषालय अधिकारी भुगतान की सूचना तुरन्त महालेखाकार को देगा ।

इन नियमों के अधीन विशेष अधिकारों का प्रयोग करने की आवश्यकता सामान्य परिस्थितियों में नहीं होनी चाहिये । ऐसी शक्तियों का प्रयोग असामान्य परिस्थितियों में किया जाना चाहिये जैसे— बाढ़, भूकम्प तथा ऐसे ही अन्य कारण ।

निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-18 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त नियम का गलत उपयोग कर मुख्य शीर्ष 2245—प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त अन्य मुख्य शीर्षों से कलेक्टर की आवश्यक स्वीकृति के बिना राशियों का आहरण किया गया । उक्त मुख्य शीर्षों से आहरित राशियों का व्यय कार्यालय व्यय, पी.ओ.एल, यात्रा भत्ता आदि भुगतानों हेतु किया गया । इस प्रकार कोषालयों एवं उपकोषालयों के अंतर्गत राशि रु. 75.03 करोड़ का अनियमित आहरण किया जाना पाया गया ।

3.5.10 सहायक अनुदान/अंशदान की राशि का गलत प्रपत्र पर आहरण

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 426 के अनुसार सहायता अनुदान, अंशदान इत्यादि के देयक जब तक विभागीय विनियमों द्वारा कोई वैकल्पिक प्रपत्र अधिकृत नहीं किया गया हो प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 46 उपयोग में लाया जाना चाहिये । जब तक किसी प्रकरण में स्वीकृतकर्ता अधिकारी अन्यथा निर्देशित न करे देयक अनुदान ग्रहिता

द्वारा तैयार एवं प्रमाणित किया जावेगा तथा जब तक उस पर स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी या ऐसे अन्य किसी शासकीय अधिकारी के हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर न हो जाये कोषालय अधिकारी द्वारा ऐसे देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनुदान राशियों के आहरण हेतु विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करने से तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने से बचने के लिये अनुदान देयक निर्धारित प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 46 में तैयार न करके साधारण पावती प्रपत्र, एम.पी.टी.सी. 76 अथवा एफ.व्ही.सी. प्रपत्र पर तैयार कर कोषालयों में प्रस्तुत किये गये जिन्हें कोषालयों द्वारा बिना जांच एवं आपत्ति किये पारित कर भुगतान किया गया। इस प्रकार परिशिष्ट संख्या-19 में दिये विवरण अनुसार राशि रु. 51.43 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

3.5.11 बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु राशियों का अनियमित आहरण

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 284 के अनुसार कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जायेगी जब तक कि तत्काल वितरण की जाना अपेक्षित न हो, मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकालना गंभीर अनियमितता है, तथा ऐसे आहरण के लिए दोषी व्यक्ति स्वयं अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया परिशिष्ट संख्या-20 में दिये गये विवरण अनुसार विभिन्न कोषालयों के अंतर्गत आहरण अधिकारियों द्वारा उनको वर्ष 2007-08 में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आवंटित संपूर्ण राशि/अखर्चित राशि पर माह मार्च, 2008 में एक मुश्त अग्रिम आहरण कर राशि को व्यक्तिगत जमा खाते अथवा बैंक खाते में जमा किया गया ताकि राशि का व्यय/ उपयोग आगामी वर्ष में सुविधानुसार किया जा सके । चूंकि राशि का व्यय वर्ष 2007-08 में किया जाना था परंतु राशि अखर्चित रहने पर व्यक्तिगत जमा/बैंक खाते में जमा करने से अनियमितता की गई है । इस प्रकार कोषालयों द्वारा कुल राशि रु. 246.43 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया ।

3.5.12 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना

भारतीय रिजर्व बैंक में विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़ों के अंतर को दूर करने के उद्देश्य से आर.बी.आई. के परिपत्र संख्या डी.जी.बी.ए.जी.

ए.डी./1377/31.4.008/2002-03/02.2.03 एवं पत्र क्र. सं.बै.ले.नि.जी.ए.डी.एच.698/31.4.008/2002-03/17.6.03 के द्वारा दो पासबुक क्रमशः कोषालय एवं एजेंसी बैंक स्तर पर राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़े प्रतिदिन सतत रूप से दर्ज करने तथा परस्पर सत्यापन के उद्देश्य से संधारित करने के निर्देश हैं ।

प्रत्येक माह पासबुक के 'ए' साइड पर बैंक स्तर व 'बी' साइड पर कोषालयीन अभिलेख से आय व्यय के आंकड़े दर्ज करने हेतु निर्धारित किये गये हैं जिसका परस्पर सत्यापन भी किया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-21 में दर्शाये गये 36 कोषालय तथा उपकोषालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निर्देशों का पालन न किया जाना पाया गया ।

3.6 जमा खातों की अभिरक्षा

3.6.1 महालेखाकार कार्यालय को व्यपगत जमा पत्रक न भेजा जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 के प्रावधान अनुसार राजस्व जमा में तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राशियों का एक विवरण पत्रक एम.पी.टी.सी. 71 में प्रत्येक 31 मार्च को तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को राशियों के व्यपगत करने हेतु भेजा जाना चाहिए परंतु निरीक्षण के दौरान पाया गया परिशिष्ट संख्या 22 में दर्शित कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राजस्व जमा में कुल राशि रू. 199.01 लाख तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत रहने पर भी उक्त पत्रक महालेखाकार कार्यालय को नहीं भेजा गया है ।

3.6.2 तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व जमा की राशि व्यपगत न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 के प्रावधान अनुसार एक पूर्ण लेखा वर्ष तक दावा न किये गये रू. 25.00 से अनाधिक की जमा राशियों को, वित्त वर्ष में अंशतः वापस भुगतान की गई जमा राशि के पश्चात शेष बची पच्चीस रूपये से अनधिक की जमा राशियों, तथा तीन पूर्ण लेखा वर्षों से भी अधिक समय तक अवशिष्ट समस्त अदावाकृत शेष राशियों को प्रतिवर्ष मार्च माह की समाप्ति पर महालेखाकार के कार्यालय में अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से शासन के खाते में व्यपगत किया जावेगा । इस तरह

व्यपगत हुए निक्षेपों एवं शेषों की प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 71 में एक सूची 31 मार्च के पश्चात तत्काल कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-22 में दिये विवरण अनुसार कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राजस्व निक्षेप की तीन लेखा वर्षों से अधिक समय से अदावाकृत राशि रु. 199.01 लाख को नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया गया ।

3.6.3 व्यक्तिगत जमा लेखे में त्रुटिपूर्ण/गलत संचालन का प्रकरण

राज्य की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर बन्द न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 543 के अनुसार ऐसे व्यक्तिगत निक्षेप खाते जो शासन की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित किये जाते हैं, वित्त वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि के सेवा शीर्ष में ऋणनामों कर बन्द किये जाने चाहिये । यदि आवश्यकता पड़ती है तो खातों को पुनः सामान्य रीति से अगले वित्तीय वर्ष में खोला जा सकता है ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत निक्षेप खाते जिनमें समेकित निधि को विकलित कर राशि जमा कराई गई थी को वर्ष के अन्त में उक्त नियम के प्रावधान अनुसार परिशिष्ट संख्या-23 के विवरण अनुसार कुल 84 खातों में दिनांक 31.3.08 तक राशि रु. 147.82 करोड़ को ऋण नामों देकर खातों को बन्द नहीं किया गया है ।

3.6.4 कार्यपालन अभियंता (पंचायत राज) एवं कार्यपालन अभियंता (ग्रामीण जल प्रदाय) द्वारा कोषालय में व्यक्तिगत जमा लेखे का अनियमित संधारण

----निरंक----

3.6.5 व्यक्तिगत जमा लेखे में प्रतिकूल शेष राशि रु.

----निरंक----

3.6.6 तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत लेखों की सूची

तीन वर्ष से अधिक समय से निष्प्रभावी व्यक्तिगत जमा खातों की राशि राजस्व जमा में अंतरण न करना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 543 के अनुसार यदि व्यक्तिगत लेखा लगातार 3 वर्षों से अधिक अवधि से निष्प्रभावी रखा गया है तो कोषालय अधिकारी लिखित रूप में लेखा के प्रशासक को संबोधित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि एक माह के अन्दर कारण बतायें कि लेखा के शेष को क्यों न राजस्व में जमा किया जावे । यदि प्रशासक का पता नहीं चले, या वह एक माह में प्रतिउत्तर देने में असफल रहता है अथवा कोषालय अधिकारी को व्यक्तिगत जमा लेखा निरंतर चालू रखने के बारे में औचित्य बताने में असफल रहता है तो कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार की पुस्तक से शेष का मिलान तथा सत्यापन कराने के पश्चात महालेखाकार को मांग पत्र भेजकर संबंधित प्रशासक के व्यक्तिगत जमा लेखा के शेष को राजस्व जमा में जमा करेगा ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खातों में तीन वर्ष से अधिक समय से कोई लेन देन न होने के बावजूद भी 413 व्यक्तिगत जमा खातों में जमा शेष राशि रु. 577048669.18 को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । (परिशिष्ट संख्या-24)

3.6.7 व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक सहायक नियम 590 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता प्रशासक से वित्त वर्ष के अन्त में वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर तथा कोषालयीन अभिलेख से मिलान पश्चात सत्यापन कर कार्यालय महालेखाकार को मार्च लेखे के साथ भेजना चाहिये साथ ही अभिलेख में वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेष भी अंकित कर सत्यापन कराया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-25 में दर्शाये गये कोषालयों में संधारित कुल 1990 व्यक्तिगत खातों में से केवल 211 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त हुये हैं जबकि 1779 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त तक वांछित रहे ।

3.6.8 दसवीं वित्त आयोग/ग्यारहवीं वित्त आयोग के अनुदानों के अंतर्गत अखर्चित/अनुपयोगी राशि

----निरंक----

3.6.9 केन्द्र द्वारा राज्य को निधि का पुर्नआवंटन हेतु "प्रोत्साहन निधि" के अंतर्गत ग्यारहवीं वित्त आयोग के अनुदानों का पुर्नआवंटन न करना

----निरंक----

3.6.10 धन ऋण पत्रकों का प्रस्तुत न करना

----निरंक----

3.6.11 जमा शीर्षों के अंतर्गत वार्षिक अवशेष प्रस्तुत न करना

कंडिका क्र. 3.6.7 के अनुसार

3.6.12 प्रचलित पी.एल.ए. (व्यक्तिगत पंजी लेखे)/पी.डी. लेखों का संवरण न करना

कंडिका क्र. 3.6.6 के अनुसार

3.6.13 राजस्व जमा पंजी में प्रत्येक तिमाही के अंतराल में जांच किये जाने का प्रमाण पत्र अंकित न पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 559 के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 64 में संधारित की गई राजस्व निक्षेप प्राप्ति की पंजी में जिलाध्यक्ष अथवा इस हेतु नामांकित किये गये कोई राजपत्रित अधिकारी (जो कि कोषालय अधिकारी नहीं हो) द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसने व्यक्तिगत रूप से सावधानीपूर्वक पंजी की जांच पड़ताल कर ली है तथा यह कि समस्त प्रविष्टियां अत्यंत सावधानी से तथा नियमित रूप से की गई है, अभिलिखित किया जाना चाहिये ।

वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-26 में दर्शाये गये 21 कोषालयों एवं उपकोषालयों के राजस्व पंजी की जांच करने पर उक्त आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना नहीं पाया गया ।

3.6.14 सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख एवं कोषालयीन अभिलेख में अंतर

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 582 के अनुसार सिविल न्यायालय निक्षेप खातों के प्राप्तियों एवं भुगतानों की सार पंजी वापसी प्रमाणकों सहित महालेखाकार को कोषालय प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भेजी जाना चाहिये, जो पंजियों को महालेखाकार को प्रेषित करने के पूर्व कोषालय अंकों के साथ प्राप्तियों एवं वापसियों के योग को सहमत होने का सत्यापन करेगा । कोषालय अधिकारी अपने व्यक्तिगत निक्षेपों (प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 75) की सार पंजी के नीचे दिखाये गये शेष को नाजिर के सिविल न्यायालय निक्षेपों की पंजियों में दिखाये गये के साथ सहमत होना भी सत्यापित करेगा । यदि कोई भिन्नता हो, कोषालय अधिकारी द्वारा पंजियों में सुधार करने हेतु लौटा दिया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-27 में दर्शाये अनुसार न्यायालयीन अभिलेख अनुसार सूचित राशि तथा कोषालयीन/उपकोषालयीन अभिलेख में दर्ज राशियों में पाये गये अन्तर का बिना निराकरण किये लेखा महालेखाकार को प्रस्तुत किया गया है ।

3.6.15 व्यक्तिगत निक्षेप खातों के धन ऋण पत्रक में दर्शाये गये शेष एवं प्रशासक से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेषों में अंतर पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 590 के अनुसार प्रत्येक वैयक्तिक खाता लेखा के प्रशासकों से एक वार्षिक प्रमाण पत्र इस आशय कि उनके द्वारा दावा किया गया व शेष नामित लेखा के है महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये । यदि उनके शेष तथा माह मार्च हेतु धन ऋण ज्ञापन में दर्शाये गये के मध्य यदि कोई भिन्नता हो तो स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में परिशिष्ट संख्या-28 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खाताधारकों द्वारा प्रदाय वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्रों अनुसार शेष राशि तथा कोषालय द्वारा महालेखाकार को भेजे गये धन ऋण पत्रक में अंकित राशि में अंतर पाया गया ।

3.6.16 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में जमा/आहरित राशि का केन्द्रांश राज्यांश तथा शीर्ष के योजनावार स्तर तक वर्गीकरण कर संधारित न किया जाना ।

पुनः संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के पत्र क्र0/न.को.ले./क.क./कोष/04/591 दिनांक 02.03.2004 के अनुसार निर्देश जारी किये गये थे कि 01.07.2004

से व्यक्तिगत निक्षेप खातों में जमा/आहरित कुल राशि का योजनावार शीर्ष स्तर तक विवरण संधारित किया जावे।

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, म0प्र0ग्वालियर के पत्र क्र0/को0नि0कक्ष/बैठक/एफ 25(II) दिनांक 19.11.2007 के अंतिम पैरा के अनुसार व्यक्तिगत निक्षेप खातों में जमा राशि का केन्द्र सरकार द्वारा प्रदाय राशि तथा राज्य शासन द्वारा प्रदाय राशि के विवरण कोषालय/उपकोषालय में उपलब्ध रखने हेतु आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल को निर्देश जारी करने हेतु लिखा गया है।

समीक्षा वर्ष 2008-09 परिशिष्ट संख्या-29 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खातों में जमा/आहरित राशि का केन्द्रांश, राज्यांश तथा शीर्ष के योजनावार स्तर तक वर्गीकरण कर संधारित किया जाना नहीं पाया गया।

3.7 चैकों का लेन देन

3.7.1 वैद्यता अवधि समाप्त हुये चैकों का मासिक पत्रक महालेखाकार कार्यालय न भेजना

----निरंक----

3.7.2 कोषालयों के चैक अनुभागों द्वारा जारी चैकों में अनियमितताएं

(i) समीक्षा वर्ष 2008-09 के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-30 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयों द्वारा जारी चैक, नष्ट चैक, व्यपगत चैक आदि का धन ऋण पत्रक त्रुटिपूर्ण तैयार कर महालेखाकार को भेजे गये हैं। धन ऋण पत्रक में अंतशेष चैक तथा तत्संबंधित राशि ऋणात्मक दर्शायी गयी है अर्थात् जारी चैकों से अधिक चैकों का नगदीकरण किया जाना दर्शाया गया है। प्रतिउत्तर में उक्त स्थिति कम्प्यूटर प्रणाली में खराबी होने से उत्पन्न होना बताया गया है।

(ii) समीक्षा वर्ष 2008-09 में कोषालय खरगौन के निरीक्षण के समय पाया गया कि कोषालय द्वारा महालेखाकार को प्रेषित चैकों के धन ऋण पत्रक में दर्शित अनगदीकृत चैक एवं तत्संबंधित राशि तथा कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली में दर्ज अनगदीकृत चैक एवं राशि में निम्नानुसार अंतर पाया गया है -

कम्प्यूटर प्रणाली अनुसार शेष		धन ऋण पत्रक अनुसार शेष		अंतर	
चैक	राशि	चैक	राशि	चैक	राशि
1112	232256881	3367	307491000	2255	75234119

3.7.3 अनगदीकृत चैकों का प्रतिवेदन तैयार न करना

संचालक कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक /2407 /2003 /आर /4 /भोपाल दिनांक 29.9.2003 के अनुसार कोषालय द्वारा जारी चैकों की वैधता अवधि एक माह (30 दिन) या 31 मार्च जो भी पहले हो तथा उनके वैधता तिथि के पश्चात अनाहरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर नवीन चैक जारी किया जावेगा ।

कोषालय टीकमगढ़ के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित चैकों को दिनांक 31.3.2008 को व्यपगत नहीं किया गया है ।

स.क्र.	चैक का क्रमांक	जारी दिनांक	राशि
1	150989	12.3.08	303131
2	151123	12.3.08	171518
3	151124	12.3.08	16308

3.7.4 अनगदीकृत चैकों का समायोजन ज्ञापन महालेखाकार कार्यालय को न भेजना

उपरोक्त कंडिका 3.7.3 अनुसार

3.8 कोषालयों में सुरक्षा

3.8.1 (i) दृढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 90(2) के अनुसार विद्यमान दृढ़कक्ष का वार्षिक निरीक्षण कार्यपालन यंत्री द्वारा अथवा किसी अनुभवी सहायक यंत्री के द्वारा जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, किया जाना चाहिये । निरीक्षणकर्ता अधिकारी सुरक्षा का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा कोषालय अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करे ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-31 में दर्शाये गये 27 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा दृढ़ कक्ष से संबंधी वर्ष 2008-09 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है ।

(ii) कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष में पहरेदारों की स्थिति निर्धारित करने वाले बीट चार्ट न लगाये जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 90 (3) के अनुसार सुदृढ़ कक्ष के पहरे के दौरान संतरियों की स्थिति को दर्शाने वाला बीट चार्ट जिला आरक्षी अधीक्षक से प्राप्त कर सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-32 में दर्शाये गये 15 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों में उक्त नियम के अनुसार बीट चार्ट प्रदर्शित नहीं किया गया ।

(iii) कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष हेतु उपयोग में लाये गये अग्निशमन यंत्र में द्रव न भरा होना

कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष की अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र कार्यशील स्थिति में यथा स्थान पर स्थापित होना चाहिये । परंतु वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-33 में दर्शाये गये कुल 19 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों के सुदृढ़ कक्ष में रखे अग्निशमन यंत्र में द्रव रिफिलिंग न होने से कार्यशील स्थिति में नहीं पाया गया ।

(iv) खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा न कराई जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 20, 21 एवं 22 के तहत कोषालय में खजांची धनराशि के लेन देन के लिए उत्तरदायी होता है । कलेक्टर का यह देखने का कर्तव्य है कि खजांची ने शासन को हानि से बचाने हेतु यथोचित मात्रा में जमानत प्रस्तुत की है । आयुक्त कोष एवं लेखा के पत्र क्रमांक स्था./दो/12/87-98 दि. 24.1.97 द्वारा पुर्नरीक्षित किये जाने पर भण्डार लिपिक से रु. 3000.00 एवं रोकड़िया से रु. 5000.00 प्रतिभूति प्राप्त की जानी चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-34 में दर्शाये गये 19 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा खजांची तथा भण्डार लिपिक से उक्त नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी गई है ।

3.8.2 बहुमूल्य वस्तुओं को तीन वर्ष पश्चात कोषालय से वापस न लिया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 47(1) के नीचे टिप्पणी के अनुसार कोषालय अथवा उपकोषालय के कक्ष में रखी नगदी की तिजोरी/सीलबन्द लिफाफा, जमाकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के अंदर वापिस लिया जाना चाहिये । इसके पश्चात यदि जमाकर्ता तिजोरी/सीलबन्द लिफाफे को कोषालय

/उपकोषालय में पुनः जमा करना उचित समझता है तो, उसे इस संबंध में प्रथम जमा की तरह कार्यवाही करना चाहिए ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-35 में दर्शाये गये कुल 48 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों के दृढ़ कक्ष में रखे 5706 मूल्यवान वस्तुओं के पैकेट्स उनके प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के उपरांत भी जमाकर्ता द्वारा वापिस नहीं लिया गया है ।

3.8.3 कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखे विभागीय दोहरी चाबियों के पैकेट्स वर्ष के अंत में परिवर्तित न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 85 के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखी गई दोहरी चाबियों के पैकेट्स को प्रतिवर्ष माह अप्रैल में परिवर्तित कर पुनः नवीन मुद्रा दृढ़कक्ष में वापिस लेना चाहिये ।

कोषालय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-36 में दर्शाये गये 43 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखी गई दोहरी चाबियों के कुल 1077 पैकेट्स को जमाकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रैल में परिवर्तित नहीं किया गया है ।

3.9 मुद्रांक लेखों का संधारण

3.9.1 मुद्रांकों की प्राप्ति, अभिरक्षा, वितरण तथा विक्रय पंजियों का संधारण न करना

----निरंक----

3.9.2 मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क.डी.टी.ए./ज-16/70-71 /2394, दिनांक 9.4.71 के पैरा (8) के अनुसार कोषालय हेतु 15 माह के तथा उपकोषालय हेतु 3 माह के विक्रय हेतु आवश्यक स्टाम्प ही रखे जाने चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-37 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राशि रु. 481.89 करोड़ निर्धारित सीमा से अधिक/अनावश्यक भण्डारण रखा गया है ।

3.9.3 मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन से स्रोत पर आयकर एवं अधिभार की कटौती न किया जाना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (एच) के अनुसार दिनांक 1.6.01 से कोषालय से देय कमीशन/दलाली (ब्रोकरेज) यदि एक वित्तीय वर्ष में कमीशन की राशि रु.2500.00 से अधिक है तो सम्पूर्ण राशि पर समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार कोषालय अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले ऐसे कमीशन या ब्रोकरेज पर आयकर एवं अधिभार की कटौती स्रोत पर ही की जानी चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा दिनांक 1.6.01 से अनुज्ञप्त मुद्रांक विक्रेताओं को विक्रय किये गये मुद्रांकों पर देय कमीशन/छूट से समय समय पर निर्धारित दर से आयकर एवं अधिभार की राशि रु. 335.05 लाख की कटौती स्रोत से नहीं की गई है । जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या-16 में दर्शाया गया है ।

3.9.4 मुद्रांक विक्रेताओं को न्यायिक मुद्रांक जारी कर अनाधिकृत रूप से कमीशन प्रदाय करना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 435 (अ) के अनुसार मुद्रांकों पर छूट मध्य प्रदेश मुद्रांक नियम 1942 के नियम 34 या न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अधीन मुद्रांकों का विक्रय विनियमित करने वाले नियमों के नियम 12 के अधीन निश्चित वर्गों के विक्रेताओं को अनुज्ञेय है । कोषालय अधिकारी के इस प्रमाण पत्र पर कि छूट वास्तविक रूप से पक्षकारों को जिन्हें वह देय थी, स्वीकृत नियमों के अनुसार पारित की गई है ।

वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान विभिन्न कोषालय/उपकोषालय द्वारा संधारित न्यायिक मुद्रांकों की कमीशन पंजी तथा मुद्रांक विक्रेताओं के लायसेंसों की जांच में पाया गया है कि न्यायकेत्तर मुद्रांकों के विक्रय हेतु भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के अधीन प्राप्त लायसेंस धारक मुद्रांक विक्रेताओं को ही, न्यायिक मुद्रांक अनाधिकृत रूप से जारी कर राशि रु. 1946107.00 का कमीशन प्रदाय किया गया है । (परिशिष्ट संख्या-38)

3.9.5 मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक आयकर आयुक्त को न भेजा जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 171(फ) के अनुसार कोषालय अधिकारी संबंधित आयकर आयुक्त को रु. 250.00 तथा इससे अधिक के वैयक्तिकों को

किये गये भुगतानों का एक तिमाही पत्रक भेजेगा । इसमें भुगतान ग्रहिताओं के नाम तथा पते तथा भुगतान की गई राशि बताई जायेगी जो उसके द्वारा शासन की ओर से कमीशन प्रदाय की गई है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-39 में दर्शाये गये 27 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा उक्त नियमानुसार प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक संबंधित आयकर आयुक्त को नहीं भेजा गया ।

3.10 सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियां

3.10.1 कोषालयों एवं उपकोषालयों में एकरूप (Uniform) पैकेज न होना

----निरंक----

3.10.2 डाटा बेस में समस्त सुधार सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली में कोई प्रावधान न होना

----निरंक----

3.10.3 अवैध लेखा शीर्षों के होने से जिला कोषालय एवं उपकोषालय के डाटा बेस में अंतर

----निरंक----

3.10.4 बैकअप की विश्वसनीयता को सुनिश्चित न किया जाना

----निरंक----

3.10.5 मानक बैकअप पद्धति (Back up policy) लागू न करना

मध्य प्रदेश स्थिति कोषालयों/उपकोषालयों में कम्प्यूटर प्रणाली पूर्ण रूप से लागू किये हुये 6 (छः) वर्ष उपरांत भी राज्य की 53 कोषालयों तथा 159 उपकोषालयों में मानक बैकअप पद्धति का लागू होना नहीं पाया गया ।

3.10.6 डाटा/प्रणाली के संरक्षण हेतु तार्किक/भौतिक सुरक्षा का अभाव

वर्ष 2008-09 में विभिन्न कोषालयों के निरीक्षण/आई.टी. ऑडिट के दौरान पाया गया कि कोषालयों में कार्य के क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर प्रणाली लागू तो की गई है परंतु प्रणाली के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु व्यापक उपाय नहीं किये गये है । इस संबंध में जिला

कोषालय भोपाल, विन्ध्याचल कोषालय (भोपाल) एवं जिला कोषालय सतना की कम्प्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पाई गई :-

(i) कम्प्यूटर कक्ष तथा इसमें स्थापित कम्प्यूटर वस्तुओं, सर्वर आदि को आग से बचाने के लिए अग्निशामन यंत्र कम्प्यूटर कक्ष में स्थापित होना नहीं पाया गया और न ही धूल जो कि कम्प्यूटर की बोर्ड एवं अन्य कम्प्यूटर हार्डवेयर का मुख्य अवरोध है, से बचाने के लिये कोई उपाय नहीं किये गये हैं ।

(ii) कम्प्यूटर सिस्टम में विद्युत व्यवस्था बाधित न होने की दृष्टि से यू.पी.एस. एवं बैटरियों को अलग स्विच रूम में स्थापित होना नहीं पाया गया ।

(iii) कम्प्यूटर प्रणाली के सुचारु संचालक हेतु "एन्टी वायरस पालिसी" कम्प्यूटर में स्थापित कर उसे अद्यतन किया जाना आवश्यक है परंतु भोपाल कोषालय में एन्टी वायरस पालिसी दिनांक 26.6.06 तक अद्यतन है । उसके उपरांत इसे खत्म नहीं किया गया है ।

(iv) डिजास्टर अथवा डाटा बेस क्रैश होने की स्थिति में डाटा प्राप्त करने के लिये डिजास्टर रिकवरी प्लान का तैयार किया जाना नहीं पाया गया और न ही दैनिक डाटा को रिट्रीव करने संबंधित कोई उपाय किया जाना पाया गया ।

(v) मूल साफ्टवेयर, नवीनतम संस्करण तथा बैकअप आदि को अग्नि, अन्य क्षतिकारक यंत्रों एवं जोखिमों से बचाने के लिये अग्नि-रक्षित कैबिनेटों में रखने हेतु कोई सुविधा नहीं है और न ही अग्नि पहचान यंत्रों, श्रव्य संकेतो की व्यवस्था कोषालयों में रखी गई है ।

(vi) कम्प्यूटर प्रणाली की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कक्ष एवं सुरक्षा मैनेजर की स्थापना नहीं की गई है ।

(vii) बैकअप की उपलब्धता को जांचने के लिये डाटा को नियमित अंतराल पर जांच किये जाने संबंधित भी कोई अभिलेख संधारित होना नहीं पाया गया ।

3.10.7 कोषालयीन डाटा का मिलान विभागीय डाटा से न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक 1889/1843/2001/सी/चार, दि. 5.10.01 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की प्रतिमाह पुष्टि कराई जाना अनिवार्य होगा । इस संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि -

(1) मासिक लेखा प्रेषण के तत्काल पश्चात कोषालय से संबंधित समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को उनसे संबंधित राजस्व शीर्ष में विगत माह में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की अनुसूची प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रदाय की जावेगी ।

(2) कार्यालय प्रमुख उक्त सूची में दर्शाई समस्त चालानों की राशि की पुष्टि कार्यालयीन अभिलेख से कर सत्यापित सूची कोषालय को माह की 20 तारीख के पूर्व वापिस लौटाई जावेगी । यदि सूची के विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है तब आहरण अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल कोषालय अधिकारी से संपर्क कर त्रुटि का समाधान करावें ।

इसी प्रकार वित्त विभाग क्रमांक 2570/3359/2000/सी/चार, दिनांक 12.12.2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य शासन के कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालय से किये गये समस्त आहरणों की प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण कराई जाना अनिवार्य किया गया है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-17 में दर्शाये गये 37 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा राज्य शासन के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है ।

3.10.8 कोषालयों की सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा में पाई गई अन्य कमियां

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों में कम्प्यूटर प्रणाली का नेटवर्क आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल के मुख्य सर्वर से जुड़ा हुआ है । अतः साफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की कमी को कोषालयों के निरीक्षण/आई.टी.आडिट के समय पाये जाने पर कोषालय/उपकोषालय अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया है कि साफवेयर में आवश्यक सुधार आयुक्त कोष एवं लेखा के कार्यालय द्वारा किया जाना है । वर्ष 2008-09 में निरीक्षण किये सभी कोषालयों /उपकोषालयों अर्थात् 53 कोषालय एवं 159 उपकोषालयों (परिशिष्ट संख्या-2 अनुसार) के साफवेयर में मुख्य रूप से निम्न कमियां पाई गई:-

(i) राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साफ्टवेयर में मु.शी. 2030 के अंतर्गत मुद्रांकों पर दी गई छूट/बट्टे की राशियों को बजट की उपलब्धता न होते हुये भी कम्प्यूटर मुख्य शीर्ष के अंतर्गत डेबिट दर्शाता है । प्रणाली में मुद्रांकों के जारी किये जाने में कमीशन की राशि को मुख्य शीर्ष 2030 के अंतर्गत आवंटित बजट की राशि से घटाया नहीं जा रहा है जिससे इस बजट के विरुद्ध व्यय पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है । अतः सिस्टम में उक्त बजटीय नियंत्रण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है ।

- (ii) कम्प्यूटर सिस्टम में सिंगल लाक पंजियां संधारित करने का कोई प्रावधान नहीं पाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 94 एवं 95 (अ,ब) के विरुद्ध है ।
- (iii) कम्प्यूटर में वेतन देयक की प्रविष्टि करने के संबंध में ए.जी.बी.टी. एवं ट्रेजरी बी.टी. की मदों को संबंधित कालम में ही स्वीकार करने का चेक नहीं है जिसके कारण महालेखाकार कार्यालय में कोषालय उचंत की राशियों में वृद्धि हो रही है ।

3.11 अन्य विसंगतियां

3.11.1 पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 23-ए के अनुसार भाग दो के परिशिष्ट 4-ए में उल्लेखित कोषालयीन अभिलेखों की सूची में उनके समक्ष दर्शाई अवधि तक सुरक्षित रखा जावेगा । निर्धारित अवधि उपरांत रिकार्ड कीपर विनष्टीकरण योग्य अभिलेखों की सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा । तथा अनुमोदन पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-40 में दर्शाये गये 37 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात भी अभिलेखों के विनष्टीकरण की कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया ।

3.11.2 यात्रा अग्रिम की राशि का समायोजन न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 271 के अनुसार कर्मचारियों को यात्रा अग्रिम तभी भुगतान किये जावे जब उन्हें वास्तविक रूप से शासकीय यात्रा पर जाना हो तथा यात्रा पूर्ण होने पर यात्रा अग्रिम राशि का व्यय देयक से यथाशीघ्र समायोजन/ वसूली की जानी चाहिये ।

वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-41 में दर्शाये गये 07 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ में यात्रा अग्रिम राशि रु. 121340.00 का समायोजन किया जाना नहीं पाया गया ।

3.11.3 माननीय विधायकों से दूरभाष तथा अन्य वसूली न किया जाना

वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-42 में दर्शाये गये 05 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा माननीय विधायकों से राशि रू. 92636.00 दूरभाष एवं आवास किराया की वसूली वेतन देयक से नियमानुसार नहीं किया जाना पाया गया ।

3.11.4 नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाइल के संधारण में कमियां

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 157 अनुसार एवं संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक डी.टी.ए./जन-20/75-76/505 दिनांक 7.1.76 के अनुसार नमूना हस्ताक्षरों की गार्ड फाइल के प्रारम्भ में आहरण अधिकारियों को दर्शाने वाली अनुक्रमाणिका का संधारण निर्धारित प्रारूप में किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-43 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा उक्त नियम/आदेश अनुसार नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाइल निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं की गई है ।

3.11.5 मृत स्कंध पंजी का सत्यापन न किया जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 128(4) के अनुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में भंडार का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा कराया जाना चाहिये तथा पंजी का संधारण प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 9 में किया जाकर प्रतिवर्ष पंजी का सत्यापन भंडार प्रभारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी से कराया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-44 में दर्शाये गये कोषालयों में संधारित मृत स्कंध पंजी का उपरोक्तानुसार सत्यापन नहीं कराया जाना पाया गया है ।

3.11.6 सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में कमियां

मूल नियम 74 के पूरक नियम 29 के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होकर अपने पद पर उपस्थित होता है उसकी एक सेवा पुस्तिका तैयार की जाती है इस पुस्तक में शासकीय सेवक के शासकीय जीवन की प्रत्येक घटना को अभिलिखित किया जाता है तथा उसे कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2008-09 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-45 में दर्शाये गये कोषालयों में सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में कमियां पाई गई है ।

परिशिष्ट संख्या-1

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों/उपकोषालयों की सूची

सरल क्रमांक	कोषालय का नाम	उपकोषालय का नाम
1	अनूपपुर	1. पुष्पराजगढ़
2	अशोकनगर	2. चंदेरी 3. मुंगावली
3	भोपाल	4. वैरसिया
4	बालाघाट	5. बैहर 6. वारासिवनी 7. कटंगी 8. लांजी
5	बड़वानी	9. राजपुर 10. पानसमल 11. सेंधवा
6	बैतूल	12. मुलताई 13. भैंसदेही 14. शाहपुर
7	भिण्ड	15. गोहद 16. लहार 17. मेहगांव 18. अटेर
8	छतरपुर	19. नौगांव 20. बिजावर 21. बक्सवाहा 22. लौंडी 23. राजनगर
9	छिन्दवाड़ा	24. सौंसर 25. पांडुरना 26. अमरवाड़ा 27. जुन्नारदेव 28. परासिया
10	दतिया	29. भांडेर 30. सेवढ़ा
11	देवास	31. बागली 32. खातेगांव 33. सोनकच्छ 34. कन्नौद
12	धार	35. बदनावर 36. कुक्षी 37. धरमपुरी 38. मनावर 39. सरदारपुर 40. गंधवानी
13	डिण्डोरी	—
14	बुरहानपुर	—
15	दमोह	41. हटा 42. तेंदूखेड़ा

16	गुना	43. आरोन 44. चाचौड़ा 45. राधौगढ़
17	ग्वालियर	46. डबरा
18	होशंगाबाद	47. इटारसी 48. पचमढी 49. सिवनीमालवा 50. सोहागपुर 51. पिपरिया 52. बाबई
19	हरदा	—
20	इंदौर	53. देपालपुर 54. महु 55. सावेर
21	इंदौर सिटी	56. इंदौर
22	जबलपुर	57. सिहोरा 58. पाटन
23	जबलपुर सिटी	—
24	झाबुआ	59. अलीराजपुर 60. जोबट 61. पेटलावद 62. थांदला
25	कटनी	63. विजयराधवगढ़
26	खण्डवा	64. नयाहरसूद 65. नर्मदानगर
27	खरगोन	66. बड़वाह 67. भीकनगांव 68. कसरावद 69. महेश्वर 70. सनावद 71. सेगांव 72. मण्डलेश्वर
28	मण्डला	73. नैनपुर 74. निवास
29	मुरैना	75. सबलगढ़ 76. अम्बाह 77. जौरा
30	मोतीमहल	—
31	मन्दसौर	78. भानपुरा 79. गरोट 80. मल्हारगढ़ 81. सीतामऊ 82. सुवासरा
32	नरसिंहपुर	83. गाडरवाड़ा 84. करेली 85. गोटेगांव
33	नीमच	86. रामपुरा 87. जावद 88. मनासा

		89. सिंगौली
34	पन्ना	90. अजयगढ़ 91. पवई 92. शाहनगर
35	रायसेन	93. बेगमगंज 94. सिलवानी 95. बरेली 96. गौहरगंज 97. गैरतगंज 98. उदयपुरा
36	राजगढ़	99. ब्यावरा 100. नरसिंहगढ़ 101. सारंगपुर 102. खिलचीपुर 103. जीरापुर
37	रतलाम	104. आलोट 105. जावरा 106. सैलाना 107. बाजना
38	रीवा	108. हनुमना 109. मऊगंज 110. सिरमौर 111. त्योंथर
39	शिवपुरी	112. करेरा 113. पिछोर 114. कोलारस 115. पोहरी
40	सागर	116. खुरई 117. बीना 118. रहली 119. देवरी 120. गढ़ाकोटा 121. बण्डा
41	श्यापुर	122. विजयपुर
42	सतना	123. नागौद 124. मैहर 125. अमरपाटन 126. रामपुर बधेलान
43	सीहोर	127. आष्टा 128. नसरुल्लागंज 129. बुदनी 130. इच्छावर 131. दोराहा
44	सिवनी	132. लखनादौन 133. केवलारी
45	शहडोल	134. ब्योहार
46	शाजापुर	135. आगर 136. शुजालपुर 137. सुसनेर

47	सीधी	138. सिंगरौली (बैढ़न) 139. चुरहट 140. देवसर 141. मझौली 142. चितरंगी 143. कुसमी 144. सिंहावल
48	उमरिया	—
49	टीकमगढ़	145. जतारा 146. निवाड़ी
50	उज्जैन	147. महिदपुर 148. तराना 149. नागदा 150. बड़नगर 151. खाचरौद 152. घटिया
51	वल्लभ भवन	—
52	विदिशा	153. नटेरन 154. सिरोंज 155. शमशाबाद 156. ग्यारसपुर 157. लटेरी 158. कुरवाई 159. गंजवासौदा
53	विन्ध्याचल	—

परिशिष्ट संख्या-2

वर्ष 2008-09 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालयों/उपकोषालयों की सूची

स. क्र.	कोषालय का नाम	निरी. एवं व्यय लेखा परीक्षा अवधि	उपकोषालय का नाम	निरीक्षण अवधि
1	अनूपपुर	12/06 से 4/08	1. पुष्पराजगढ़	6/06 से 4/08
2	अशोकनगर	5/06 से 3/08	2. चंदेरी	5/06 से 3/08
3	भोपाल	12/07 से 12/08	3. वैरसिया	12/07 से 12/08
4	बालाघाट	12/07 से 11/08	4. बैहर	12/07 से 11/08
5	बड़वानी	7/07 से 6/08	5. सेंधवा	8/07 से 6/08
6	बैतूल	8/07 से 7/08	6. मुलताई 7. भैंसदेही	8/07 से 7/08 8/07 से 7/08
7	भिण्ड	3/07 से 3/08	8. गोहद 9. मेहगांव	11/06 से 3/08 11/06 से 3/08
8	छतरपुर	7/07 से 8/08	10. नौगांव 11. राजनगर	7/07 से 8/08 7/07 से 8/08
9	छिन्दवाड़ा	11/07 से 12/08	12. अमरवाड़ा 13. जुन्नारदेव 14. परासिया	8/07 से 12/08 8/07 से 12/08 8/07 से 12/08
10	दतिया	11/06 से 6/08	15. सेंवड़ा	10/06 से 6/08
11	देवास	7/07 से 5/08	16. बागली 17. खातेगांव 18. सोनकच्छ 19. कन्नौद	5/07 से 5/08 5/07 से 5/08 5/07 से 5/08 5/07 से 5/08
12	धार	2/08 से 3/09	20. धरमपुरी 21. मनावर 22. गंधवानी	1/08 से 3/09 1/08 से 3/09 1/08 से 3/09
13	डिण्डोरी	10/07 से 11/08	—	—
14	बुरहानपुर	7/06 से 4/08	—	—
15	दमोह	4/07 से 5/08	23. हटा	5/07 से 5/08
16	गुना	4/07 से 5/08	24. आरोन 25. चाचौड़ा	5/07 से 5/08 6/07 से 5/08
17	ग्वालियर	1/08 से 11/08	26. डबरा	1/08 से 11/08
18	होशंगाबाद	3/08 से 2/09	27. इटारसी 28. सिवनीमालवा 29. सोहागपुर 30. पिपरिया 31. बाबई	3/08 से 2/09 1/07 से 2/09 2/08 से 2/09 2/08 से 2/09 2/08 से 2/09
19	हरदा	9/06 से 5/08	—	—
20	इंदौर	1/08 से 2/09	32. देपालपुर 33. सांवेर	1/08 से 2/09 2/08 से 2/09
21	इंदौर सिटी	2/08 से 1/09	—	—
22	जबलपुर	7/07 से 7/08	34. सिहोरा 35. पाटन	8/07 से 7/08 7/07 से 7/08
23	जबलपुर सिटी	7/07 से 8/08	—	—
24	झाबुआ	8/07 से 7/08	36. जोबट 37. पेटलावद 38. थांदला	7/07 से 7/08 7/07 से 7/08 7/07 से 7/08

25	कटनी	4/06 से 4/08	39. विजयराधवगढ़	5/06 से 4/08
26	खण्डवा	3/08 से 2/09	—	
27	खरगोन	11/07 से 11/08	40. कसरावद 41. महेश्वर 42. सनावद 43. सेगांव 44. मण्डलेश्वर	12/07 से 11/08 11/07 से 11/08 12/07 से 11/08 12/07 से 11/08 11/07 से 11/08
28	मण्डला	1/08 से 12/08	45. निवास	1/08 से 12/08
29	मुरैना	3/07 से 3/08	46. अम्बाह	3/07 से 3/08
30	मोतीमहल	9/07 से 8/08	—	
31	मन्दसौर	6/07 से 6/08	47. मल्हारगढ़ 48. सीतामऊ	6/07 से 6/08 6/07 से 6/08
32	नरसिंहपुर	5/07 से 8/08	49. गाडरवाड़ा 50. करेली 51. गोटेगांव	6/07 से 8/08 5/07 से 8/08 5/07 से 8/08
33	नीमच	4/06 से 3/08	52. जावद	4/06 से 3/08
34	पन्ना	4/06 से 5/08	53. सिंगौली 54. अजयगढ़ 55. पवई	4/06 से 3/08 4/06 से 5/08 4/06 से 5/08
35	रायसेन	5/07 से 7/08	56. गैरतगंज	4/07 से 7/08
36	राजगढ़	6/07 से 7/08	57. ब्यावरा	6/07 से 7/08
37	रतलाम	9/07 से 9/08	58. आलोट 59. जावरा 60. सैलाना 61. बाजना	9/07 से 9/08 9/07 से 9/08 9/07 से 9/08 9/07 से 9/08
38	रीवा	10/07 से 11/08	62. हनुमना 63. मऊगंज	11/07 से 11/08 10/07 से 11/08
39	शिवपुरी	3/07 से 3/08	64. करैरा 65. कोलारस 66. पोहरी	3/07 से 3/08 3/07 से 3/08 3/07 से 3/08
40	सागर	12/07 से 1/09	67. खुरई 68. बीना 69. बण्डा	12/07 से 1/09 9/07 से 1/09 2/07 से 1/09
41	श्यापुर	6/06 से 4/08	70. विजयपुर	6/06 से 4/08
42	सतना	2/08 से 1/09	71. मैहर 72. अमरपाटन	1/08 से 1/09 11/07 से 1/09
43	सीहोर	5/07 से 6/08	73. नसरुल्लागंज 74. बुदनी	4/07 से 6/08 4/07 से 6/08
44	सिवनी	10/07 से 1/09	75. लखनादौन	10/07 से 1/09
45	शहडोल	12/06 से 4/08	76. ब्यौहारी	12/06 से 4/08
46	शाजापुर	4/07 से 4/08	77. आगर 78. सुसनेर	6/07 से 4/08 6/07 से 4/08
47	सीधी	11/07 से 10/08	79. चुरहट 80. चतरंगी 81. कुसमी	10/07 से 10/08 10/07 से 10/08 10/07 से 10/08
48	उमरिया	11/07 से 11/08	—	—
49	टीकमगढ़	4/07 से 8/08	82. निवाड़ी	4/07 से 8/08
50	उज्जैन	3/08 से 2/09	83. नागदा 84. बड़नगर	9/07 से 2/09 1/08 से 2/09

			85. घटिया	2/08 से 2/09
51	वल्लभ भवन	3/08 से 2/09	—	—
52	विदिशा	9/07 से 9/08	86. नटेरन 87. सिरोंज 88. शमशाबाद 89. ग्यारसपुर	9/07 से 9/08 9/07 से 9/08 9/07 से 9/08 9/07 से 9/08
53	विन्ध्याचल भवन	9/07 से 10/08	—	—

परिशिष्ट संख्या-3

(पैरा-2.1.1)

वर्ष 2008-09 में कोषालयों द्वारा गलत शीर्षों में वर्गीकरण कर लेखा भेजा जाना

कोषालय का नाम	माह	गलत शीर्ष जिसमें वर्गीकरण किया गया	सही शीर्ष जिसमें वर्गीकरण किया जाना था	राशि
भिण्ड	6/08	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ, 01-सिविल	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (स्वतंत्रता सेनानी पेंशन)	154000.00
	8/08	---	---	58000.00
	9/08	---	---	18000.00
	1/09	---	---	19800.00
	2/09	---	---	19800.00
	3/09	---	---	45800.00
उज्जैन	4/08	---	8658-उचंत लेखा, 101-वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत (केन्द्रीय)	2798.00
	5/08	---	---	2913.00
	6/08	---	---	3258.00
	7/08	---	---	2913.00
	8/08	---	---	2913.00
	9/08	---	---	2913.00
	10/08	---	---	2913.00
	11/08	---	---	2913.00

परिशिष्ट संख्या-4

(पैरा-2.2)

अप्राप्त रेलवे पेंशन दावे के प्रमाणकों का विवरण

पश्चिम रेलवे

कोषालय	माह	राशि रु.	कोषालय	माह	राशि रु.
इंदौर	9 / 03	20305	होशंगाबाद	3 / 04	5190
	2 / 04	36356		5 / 04	5190
	3 / 04	13602		3 / 05	15264
	6 / 04	8622			—
	11 / 04	23834			—
	3 / 05	22742			—
	8 / 05	29425			—
			योग		186112

उत्तर रेलवे

माह	कोषालय	राशि रु.
4 / 03	रीवा	4076
5 / 03	—"—	4076
6 / 03	—"—	2038
7 / 03	—"—	2038
8 / 03	—"—	2038
10 / 03	—"—	4076
11 / 03	—"—	4418
12 / 03	—"—	2076
1 / 04	—"—	4114
2 / 04	—"—	2382
	योग	31332

मध्य रेलवे

कोषालय	माह	राशि	कोषालय	माह	राशि
दतिया	12 / 03	2752	शहडोल	11 / 03	2000
	2 / 04	2771		12 / 03	4000
होशंगाबाद	9 / 03	9774	दमोह	9 / 03	6182
जबलपुर	6 / 03	10243	रतलाम	10 / 03	12671
सीहोर	4 / 03	1721	रीवा	4 / 03	6038
	6 / 03	1721		6 / 03	2038
	7 / 03	1721		7 / 03	8038
	11 / 03	1785		8 / 03	4038
	12 / 03	1785		10 / 03	7248
	2 / 04	1785		2 / 04	4458
	3 / 04	1785		3 / 05	6384
इंदौर	6 / 03	1938	योग		122157
	4 / 04	19281			
महायोग					(186112+31332+122157)= रु. 339601

परिशिष्ट संख्या-5

(पैरा-2.4)

वर्ष 2008-09 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे की जानकारी

सरल क्रमांक	कोषालय का नाम	लेखा माह	लेखा प्राप्त होने की तिथि	विलम्ब		
				1-5 दिन	6-14 दिन	15-30 दिन
1	अनूपपुर	4 / 08	10.5.08	2	—	—
		5 / 08	11.6.08	3	—	—
		9 / 08	16.10.08	—	8	—
2	अशोकनगर	3 / 09	15.4.09	—	7	—
3	बड़वानी	4 / 08	12.5.08	4	—	—
		3 / 09	15.4.09	—	7	—
4	बालाघाट	5 / 08	10.6.08	2	—	—
		6 / 08	9.7.08	1	—	—
		10 / 08	10.11.08	2	—	—
		12 / 08	9.1.09	1	—	—
		1 / 09	11.2.09	3	—	—
		3 / 09	20.4.09	—	12	—
5	बैतूल	4 / 08	9.5.08	1	—	—
		5 / 08	12.6.08	4	—	—
		6 / 08	9.7.08	1	—	—
		7 / 08	14.8.08	—	6	—
		8 / 08	12.9.08	4	—	—
6	भिण्ड	3 / 09	13.4.09	5	—	—
7	भोपाल	1 / 09	9.2.09	1	—	—
		2 / 09	13.3.09	5	—	—
		3 / 09	13.4.09	5	—	—
8	बुरहानपुर	1 / 09	9.2.09	1	—	—
		2 / 09	9.3.09	1	—	—
		3 / 09	13.4.09	5	—	—
9	छतरपुर	3 / 09	13.4.09	5	—	—
10	छिन्दवाड़ा	3 / 09	15.4.09	—	7	—
11	दमोह	9 / 08	13.10.08	5	—	—
		10 / 08	10.11.08	2	—	—
		1 / 09	10.2.09	2	—	—
		2 / 09	12.3.09	4	—	—
		3 / 09	15.4.09	—	7	—
12	दतिया	3 / 09	15.4.09	—	7	—
13	देवास	3 / 09	13.4.09	5	—	—
14	धार	6 / 08	9.7.08	1	—	—
		3 / 09	15.4.09	—	7	—

15	डिण्डोरी	4/08	9.5.08	1	—	—
		6/08	10.7.08	2	—	—
		10/08	14.11.08	—	6	—
		12/08	12.1.09	4	—	—
		1/09	12.2.09	4	—	—
		3/09	20.4.09	—	12	—
16	गुना	3/09	13.4.09	5	—	—
17	ग्वालियर	—	—	—	—	—
18	हरदा	4/08	9.5.08	1	—	—
		5/08	10.6.08	2	—	—
		6/08	11.7.08	3	—	—
		7/08	14.8.08	—	6	—
		8/08	9.9.08	1	—	—
		9/08	14.10.08	—	6	—
		11/08	12.12.08	4	—	—
		12/08	13.1.09	5	—	—
		1/09	11.2.09	3	—	—
		2/09	9.3.09	1	—	—
3/09	17.4.09	—	9	—		
19	होशंगाबाद	4/08	12.5.08	4	—	—
		5/08	9.6.08	1	—	—
		7/08	11.8.08	3	—	—
		11/08	13.12.08	5	—	—
		1/09	9.2.09	1	—	—
		2/09	9.3.09	1	—	—
3/09	16.4.09	—	8	—		
20	इंदौर	3/09	13.4.09	5	—	—
21	इंदौर सिटी	4/08	9.5.08	1	—	—
		3/09	13.4.09	5	—	—
22	जबलपुर	5/08	12.6.08	4	—	—
		6/08	9.7.08	1	—	—
		3/09	15.4.09	—	7	—
23	जबलपुर सिटी	3/09	14.4.09	—	6	—
24	झाबुआ	5/08	9.6.08	1	—	—
		6/08	9.7.08	1	—	—
		8/08	15.9.08	—	7	—
		3/09	13.4.09	5	—	—
25	कटनी	4/08	12.5.08	4	—	—
		12/08	9.1.09	1	—	—
		1/09	9.2.09	1	—	—
		3/09	15.4.09	—	7	—
26	खण्डवा	2/09	9.3.09	1	—	—
		3/09	15.4.09	—	7	—
27	खरगोन	4/08	9.5.08	1	—	—
		5/08	9.6.08	1	—	—
		6/08	9.7.08	1	—	—

		7/08	11.8.08	3	—	—
		12/08	9.1.09	1	—	—
		2/09	9.3.09	1	—	—
		3/09	13.4.09	5	—	—
28	मण्डला	3/09	15.4.09	—	7	—
29	मंदसौर	3/09	17.4.09	—	9	—
30	मुरैना	4/08	9.5.08	1	—	—
		6/08	9.7.08	1	—	—
		7/08	13.8.08	5	—	—
		10/08	10.11.08	2	—	—
		12/08	9.1.09	1	—	—
		3/09	13.4.09	5	—	—
31	मोतीमहल	3/09	15.4.09	—	7	—
32	नरसिंहपुर	5/08	9.6.08	1	—	—
		3/09	15.4.09	—	7	—
33	नीमच	3/09	13.4.09	5	—	—
34	पन्ना	3/09	15.4.09	—	7	—
35	रायसेन	5/08	9.6.08	1	—	—
		3/09	15.4.09	—	7	—
36	राजगढ़	6/08	9.7.08	1	—	—
		3/09	13.4.09	5	—	—
37	रतलाम	3/09	14.4.09	—	6	—
38	रीवा	3/09	13.4.09	5	—	—
39	सागर	5/08	9.6.09	1	—	—
		6/08	9.7.08	1	—	—
		10/08	10.11.08	2	—	—
		11/08	10.12.08	2	—	—
		12/08	12.1.09	4	—	—
		3/09	13.4.09	5	—	—
40	सतना	3/09	13.4.09	5	—	—
41	सीहोर	4/08	13.5.08	5	—	—
		5/08	9.6.08	1	—	—
		3/09	13.4.09	5	—	—
42	सिवनी	9/08	13.10.08	5	—	—
		10/08	11.11.08	3	—	—
		3/09	13.4.09	5	—	—
43	शहडोल	4/08	13.5.08	5	—	—
		5/08	9.6.08	1	—	—
		7/08	14.8.08	—	6	—
		12/08	12.1.09	4	—	—
		3/09	15.4.09	—	7	—
44	शिवपुरी	3/09	15.4.09	—	7	—
45	शाजापुर	3/09	15.4.09	—	7	—
46	श्योंपुर	7/08	11.8.08	3	—	—
		10/08	10.11.08	2	—	—

		3/09	13.4.09	5	—	—
47	सीधी	4/08	12.5.08	4	—	—
		5/08	9.6.08	1	—	—
		6/08	14.7.08	—	6	—
		11/08	11.12.08	3	—	—
		12/08	9.1.09	1	—	—
		3/09	13.4.09	5	—	—
		3/09	13.4.09	5	—	—
48	टीकमगढ़	5/08	9.6.08	1	—	—
		9/08	14.10.08	—	6	—
		10/08	12.11.08	4	—	—
		11/08	13.12.08	5	—	—
		12/08	9.1.09	1	—	—
		3/09	15.4.09	—	7	—
		3/09	15.4.09	—	7	—
49	उज्जैन	4/08	9.5.08	1	—	—
		5/08	11.6.08	3	—	—
		6/08	11.7.08	3	—	—
		7/08	12.8.08	4	—	—
		8/08	9.9.08	1	—	—
		9/08	17.10.08	—	9	—
		10/08	10.11.08	2	—	—
		3/09	13.4.09	5	—	—
		3/09	13.4.09	5	—	—
50	उमरिया	6/08	15.7.08	—	7	—
		7/08	11.8.08	3	—	—
		1/09	9.2.09	1	—	—
		3/09	15.4.09	—	7	—
51	वल्लभ भवन (भोपाल)	10/08	12.11.08	4	—	—
		11/08	10.12.08	2	—	—
		3/09	15.4.09	—	7	—
52	विदिशा	3/09	16.4.09	—	8	—
53	विन्ध्याचल भवन	3/09	15.4.09	—	7	—

परिशिष्ट संख्या – 6

(पैरा – 2.5.1)

दिनांक 31.3.09 की स्थिति में शीर्ष 8443-106 पी.डी. खाता में ऋणात्मक शेषों की सूची

स.क्र.	कोषालय	डी.डी.ओ. कोड	डी.डी.ओ. का नाम	राशि (-)
1	अशोकनगर	504	कार्यपालन यंत्री, राजघाट संभाग-4 चंदेरी	21325879
2	बड़वानी	4एम.एस. बड़वानी	12928
3	बालाघाट	13	प्राचार्य, उ0मा0विद्या0 सदरबाल बालाघाट	999432
4	—''—	503	सहायक संचालक मत्स्य पालन बालाघाट	2705727
5	—''—	514	जिला योजना अधिकारी	999500
6	—''—	515	जिला अल्प बचत अधिकारी बालाघाट	855583
7	बैतूल	1	एन.बी.एच.एस. कोठी बाजार	10878
8	—''—	504	उपसंचालक पशुपालन बैतूल	90814
9	—''—	508	डी.एफ.ओ. (साउथ) बैतूल	685831
10	भिण्ड	512	जिला अल्प बचत अधिकारी भिण्ड	822438.44
11	भोपाल	14	प्राचार्य, फ्रांसिस उ0मा0विद्या0 भोपाल	39200
12	—''—	49	दिग्दर्शिता पुनर्वास एवं समाज सेवा समिति	70434
13	—''—	502	आयुक्त श्रमिक अनुकम्पा भोपाल	443408
14	—''—	51	प्राचार्य, सुभम विकलांग अनाथ माध्यमिक विद्या0 बैरागढ़	202548
15	—''—	511	जिला अल्प बचत अधिकारी भोपाल	62508
16	बुरहानपुर	2	लालबाग उ0मा0विद्या0	38396
17	छतरपुर	503	डी.एफ.ओ.(सामान्य) छतरपुर	100397
18	—''—	10	अध्यक्ष प्रगतिशील विकलांग संस्था छतरपुर	99956
19	छिन्दवाड़ा	3	कला एवं वाणिज्य महाविद्या0 चौराई	277129
20	—''—	5	जगन्नाथ उ0मा0विद्या0 छिन्दवाड़ा	99000
21	—''—	508	भू-अर्जन अधिकारी परासिया	300700
22	—''—	513	डी.एफ.ओ.(साउथ सामान्य) संभाग	4584010
23	—''—	1	डेनीसन कॉलेज छिन्दवाड़ा	242729
24	दमोह	1	मिशन प्राथमिक विद्यालय दमोह	4582
25	—''—	506	डी.ओ. आदिम जाति कल्याण अधिकारी, दमोह	3000
26	दतिया	501	सहायक पंजीयक सहकारी समिति दतिया	121842
27	—''—	507	भू-अर्जन अधिकारी, सी.एफ.आर. राजघाट कैनल नं. 1 एवं 2	4185021
28	धार	501	सी.ई.ओ. जिला पंचायत धार	54792
29	—''—	506	विकास खण्ड अधिकारी नलसा	50025
30	—''—	514	कलैक्टर धार	1834345
31	—''—	522	परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस.	150000

			उमरवन	
32	--	524	परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. कुक्षी	20000
33	डिण्डोरी	504	परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. शाहपुरा	555250
34	गुना	514	परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. चाचौड़ा	43500
35	ग्वालियर	108	परियोजना क्रियान्वयन संस्था मोरार	171616
36	--	109	परियोजना क्रियान्वयन संस्था गिर्द	410020
37	--	503	अवर सचिव वित्त विभाग भोपाल	32340.17
38	इंदौर सिटी	12	प्रा०,एम.एल.बी. बाल मंदिर प्राथमिक विद्या० इंदौर	4709.58
39	--	203	मुख बाधिर समिति इंदौर	62343
40	--	511	विकलांग कल्याण समिति इंदौर	72639
41	--	512	म०प्र० अंध समिति इंदौर	2132711
42	--	516	अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा	736841
43	--	530	सहायक आयुक्त इंदौर	1451269
44	--	531	उप श्रम आयुक्त इंदौर	1259270
45	--	532	लोक सेवा आयोग इंदौर	230247
46	--	533	उपसंचालक एन.वी.डी.ए. इंदौर	105470000
47	--	59	सावित्री कला मंदिर माध्यमिक विद्या० इंदौर	20
48	जबलपुर सिटी	501	आयुक्त डब्लू.सी.एन. 1 जबलपुर	2589882.82
49	--	503	डीन मेडीकल कॉलेज जबलपुर	2889070
50	--	80	सेंट जोसेफ बालिका पूर्व माध्यमिक विद्या० जबलपुर	115820
51	--		बंगाली बालिका प्राथमिक विद्यालय जबलपुर	99716
52	--	84	गुरुनानक बालिका प्राथमिक विद्यालय नवराताल जबलपुर	218585
53	जबलपुर	4	विद्या माध्यमिक विद्यालय पटौरी जबलपुर	349
54	--	501	सहायक अभियंता कृषि अधरताल जबलपुर	1212459
55	--	7	विद्या मंदिर मुरेतू जबलपुर	203
56	झाबुआ	515	कोषालय अधिकारी झाबुआ	143850
57	--	516	परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. भाबरा	40000
58	--	504	कलैक्टर माइनिंग	213748
59	--	533	एस.डी.ओ. भू-अर्जन थांदला	1515821
60	खरगोन	502	भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी	29971280
61	--	503	आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग	21918430
62	--	509	डी.एफ.ओ. (सामान्य) बड़वानी	3878232
63	--	514	एस.डी.ओ. एवं भू-अर्जन (राजस्व) कसरावद	3344036

64	—''—	516	अतिरिक्त विकास आयुक्त महेश्वर	81302
65	कटनी	25	ऐवरेस्ट पी.एस. वीमोस	124027
66	—''—	27	लाला कंचन चन्द पी.एस. कटनी	116823
67	खण्डवा	504	सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास खण्डवा	575079
68	मुरैना	502	डी.एफ.ओ. ग्वालियर, मुरैना	1967999
69	—''—	506	डी.एफ.ओ. (एस.सी.) मुरैना	38205210
70	—''—	510	सी.ई.ओ. जिला पंचायत मुरैना	189312
71	नरसिंहपुर	505	कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी	33421018
72	पन्ना	511	जिला अल्प बचत अधिकारी	331497
73	—''—	515	कोषालय अधिकारी पन्ना	2590924
74	राजगढ़	507	परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. राजगढ़	12000
75	—''—	508	जिला कोषालय अधिकारी राजगढ़	11514679
76	रतलाम	11	नाहर विद्या पीठ प्राथमिक विद्यालय	6695.15
77	—''—	18	जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रतलाम	44976.19
78	—''—	20	गुजराती समाज उ०मा०विद्या० रतलाम	488832.52
79	—''—	22	सचिव शिक्षा समिति धोधर	24585.79
80	—''—	27	प्राचार्य, जैन बालिका उ०मा०विद्या० रतलाम	182342
81	—''—	30	एम.जी.एम. उर्दू प्राथमिक विद्यालय	66948
82	—''—	31	गुजराती भगीनी समाज रतलाम	17841
83	—''—	502	कलैक्टर निराश्रित निधि रतलाम	507500
84	रीवा	34	सेठ रघुनाथ पी.डी. कॉलेज रीवा	489495.45
85	—''—	35	नेत्रहीन विकलांग डिग्री कॉलेज रीवा	414197
86	रायसेन	509	सी.एम.ओ. मंडीदीप रायसेन	193075
87	सागर	39	मॉडल संगीत कॉलेज सागर	42151
88	—''—	514	जिला महिला बाल विकास सागर	184966
89	—''—	520	प्राचार्य, आदर्श कॉलेज सागर	53709
90	शाजापुर	512	परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. कालापीपल	69954
91	—''—	513	परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. शुजालपुर	9945
92	सतना	508	जिला अल्प बचत अधिकारी	332331
93	सीहोर	510	डी.एस.एस.ओ. सीहोर	410390
94	—''—	516	एस.डी.ओ. नसरुल्लागंज सीहोर	9108033
95	सिवनी	511	डी.एफ.ओ. (टी) नार्थ सिवनी	16888911
96	—''—	532	सहायक परियोजना अधिकारी लखनादौन	14293
97	शहडौल	4	—	105000
98	—''—	505	डी.एफ.ओ. (साउथ)	8788588
99	—''—	509	डी.एफ.ओ. (नार्थ)	28254
100	—''—	513	कलैक्टर ए.सी.टी.डी. शहडौल	2909258

101	सीधी	503	डी.एफ.ओ. (वेस्ट) सीधी	4853944
102	टीकमगढ़	509	डी.ओ.टी.डब्लू टीकमगढ़	4170080
103	उज्जैन	502	आयुक्त श्रमिक अनुकम्पा	8385.10
104	—''—	503	आयुक्त श्रम अदालत उज्जैन	428099.04
105	उमरिया	506	उप वनसंरक्षक बी.एन.पी. उमरिया	1582040
106	वल्लभ भवन	524	आयुक्त चिकित्सा सेवा भोपाल	418345126
107	—''—	529	म0प्र0 लघु उद्योग निगम	148043291
108	विदिशा	514	भू-अर्जन अधिकारी सिरोंज विदिशा	241977
109	विन्ध्याचल भवन	537	फण्ड मैनेजर कार्पोरेशन	718978750
110	—''—	541	मानवशोध एच.आर.डी.सी. विन्ध्याचल	310638
111	—''—	543	उपसंचालक योजना मण्डल	2237182
112	—''—	546	म0प्र0 ग्रामीण विकास	138382
113	—''—	547	संचालक पेंशन भोपाल	392405
114	—''—	548	उप संचालक रेशम विकास विन्ध्याचल	245000
115	—''—	550	संचालक टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग	207774
116	—''—	554	परियोजना संचालक शहरी जल प्रदाय	54442000
योग				1777414707.25

परिशिष्ट संख्या-7

(पैरा-2.5.2)

जमा एवं अग्रिम के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों का निराकरण संबंधी विवरण

(1) 7610-शासकीय सेवकों को ऋण एवं अग्रिम

-----निरंक-----

(2) मुख्य शीर्ष 8009 राज्य भविष्य निधि-01-101-0002-विभागीय भविष्य निधि

क्र.	शीर्ष	प्रारंभिक शेष	वृद्धि	निराकरण	अंतशेष
1	2015-चुनाव	793409.95	—	—	793409.95
2	2029-भूराजस्व	219724667.46	—	—	219724667.46
3	2040-विक्रय कर	29954570.09	—	—	29954570.09
4	2045-वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क	1332913.30	—	—	1332913.30
5	2047-अन्य राजकोषीय सेवायें	1133511.00	—	—	1133511.00
6	2052-सचिवालय सामान्य सेवायें	43895007.95	—	—	43895007.95
7	2053-जिला प्रशासन	5494986.11	—	—	5494986.11
8	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	78880817.62	—	71000000	7880817.62
9	2059-लोक निर्माण	9242367.16	—	—	9242367.16
10	2202-शिक्षा	110818883.95	—	—	110818883.95
11	2203-तकनीकी शिक्षा	30482428.00	—	—	30482428.00
12	2204-खेल एवं युवा सेवायें	15143357.00	—	—	15143357.00
13	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	301441554.35	—	—	301441554.35
14	2401-बीज	17141219.93	—	—	17141219.93
15	2402-मुद्रा एवं जल संरक्षण	8649562.85	—	—	8649562.85
16	2403-पशुपालन	157713566.32	—	—	157713566.32
17	2405-मत्स्य पालन	22670775.15	—	—	22670775.15
18	2406-वन एवं वन्य जीवन	328664366.31	—	—	328664366.31
19	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20680002.50	—	—	20680002.50
20	2700/4700- सिंचाई	30006499.00	—	—	30006499.00
21	3054-सड़क एवं पुल	1334105.00	—	—	1334105.00
	योग	1435198571.00	—	71000000	1364198571.00

परिशिष्ट संख्या-8

(पैरा-2.6.1 एवं 2.10)

वर्ष 2008-09 के अन्त तक अप्राप्त व्ही.डी.एम.एस. से संबंधित कोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय का नाम	संबंधित बैंक शाखा	माह
1	बैतूल	एस.बी.आई. मुलताई	3 / 09
		एस.बी.आई. शाहपुर	3 / 09
		एस.बी.आई. भैंसदेही	3 / 09
2	छिन्दवाड़ा	एस.बी.आई. सौंसर	3 / 09
3	दतिया	एस.बी.आई. दतिया	7 / 08
4	डिण्डोरी	एस.बी.आई. डिण्डोरी	3 / 09
5	हरदा	एस.बी.आई. हरदा	3 / 09
6	जबलपुर	एस.बी.आई. टी.सी. जबलपुर	3 / 09
		एस.बी.आई. पाटन	3 / 09
		एस.बी.आई. सिहोरा	3 / 09
7	मुरैना	एस.बी.आई. सबलगढ़	5 / 08, 6 / 08, 7 / 08, 8 / 08, 9 / 08, 3 / 09
		स्टेट बैंक आफ इंदौर अम्बाह	8 / 08
		स्टेट बैंक आफ इंदौर जौरा	3 / 09
8	रीवा	एस.बी.आई. हनुमना	6 / 08
		स्टेट बैंक आफ इंदौर, रीवा	6 / 08
9	रायसेन	एस.बी.आई. रायसेन	3 / 09
10	सीधी	एस.बी.आई. सीधी	3 / 09
11	टीकमगढ़	एस.बी.आई. जतारा	3 / 09
12	वल्लभ भवन	एस.बी.आई. भोपाल मेन ब्रांच	3 / 09

परिशिष्ट संख्या-9 "अ"

(पैरा-2.9)

**मार्च 2009 के अन्त की स्थिति में रिजर्व बैंक डिपॉजिट (राज्य) के अंतर्गत विसंगतियों की सूची
(जुलाई 2009 तक निराकृत)**

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	आर.बी.आई.राशि	कोषालय राशि	अंतर	
						डेबिट	क्रेडिट
1	अनूपपुर	भा.स्टे.बैंक, अनूपपुर	7/08	37221184 के.	37221176 डे.	-	8
		सेन्ट्रल बैंक, पुष्पराजगढ़	4/08	12247123 डे.	122447620 के.	-	497
		सेन्ट्रल बैंक, पुष्पराजगढ़	5/08	24951832 डे.	24952832 के.	-	1000
		सेन्ट्रल बैंक, पुष्पराजगढ़	9/08	17891228 डे.	17919605 के.	-	28377
		सेन्ट्रल बैंक, पुष्पराजगढ़	11/08	22485728 डे.	22487778 के.	-	2050
		सेन्ट्रल बैंक, पुष्पराजगढ़	2/09	21681132 डे.	21681134 के.	-	2
	अशोकनगर	एस.बी.इंदौर, चंदेरी	10/08	4758845 डे.	4738845 के.	20000	-
	बड़वानी	एस.बी.इंदौर, पानसेमल	5/08	5030495 डे.	5066540 के.	-	36045
		एस.बी.इंदौर, एस.बी. एन. अंजाद	1/09	3287187 के.	3474648 डे.	187461	-
2	बालाघाट	भा.स्टे.बैंक, बालाघाट	7/08	179368723 डे.	179368768 के.	-	45
		भा.स्टे.बैंक, बालाघाट	3/09	492844138 डे.	492789673 के.	54465	-
		भा.स्टे.बैंक, वारासिवनी	8/08	35124643 डे.	35124618 के.	25	-
		भा.स्टे.बैंक, वारासिवनी	3/09	42465034 डे.	42465084 के.	-	50
		भा.स्टे.बैंक, बैहर	2/09	41342023 डे.	41342068 के.	-	45
		एस.बी.इंदौर, बालाघाट	7/08	11980721 के.	11862393 डे.	-	118328
3	बैतूल	भा.स्टे.बैंक, मुलताई	7/08	11897210 डे.	11297010 के.	600200	-
		भा.स्टे.बैंक, मुलताई	11/08	29241441 डे.	26727478 के.	2513965	-
		भा.स्टे.बैंक, मुलताई	12/08	116922220 डे.	11716257 के.	-	24037
		भा.स्टे.बैंक, मुलताई	2/09	27183773 डे.	27180419 के.	3354	-
		भा.स्टे.बैंक, मुलताई	3/09	59594989 डे.	60055752 के.	-	460763
		भा.स्टे.बैंक, बैतूल	2/09	153873000 डे.	153637843 के.	235157	-
		भा.स्टे.बैंक, भैंसदेही	11/08	21141638 डे.	21141438 के.	200	-
		भा.स्टे.बैंक, भैंसदेही	3/09	55622754 डे.	55449982 के.	172772	-
		भा.स्टे.बैंक, शाहपुर	3/09	13207964 डे.	13207984 के.	-	20
		एस.बी.इंदौर, बैतूल	7/08	10861218 के.	10861118 डे.	-	100
	भिण्ड	एस.बी.इंदौर, गोहद	1/09	24195532 डे.	24195542 के.	-	10
		यूको बैंक, अटेर	6/08	5299159 डे.	5297159 के.	2000	-
4	भोपाल	भा.स्टे.बैंक, बैरसिया	12/08	9539187 डे.	9212399 के.	326788	-
		भा.स्टे.बैंक, गोविंदपुरा	11/08	501104981 डे.	निरंक	501104981	-
		भा.स्टे.बैंक, एस.आर. भोपाल	3/09	3601082161 डे.	3601087161 के.	-	5000

		एस.बी.इंदौर, एम.आर. भोपाल	10/08	19410305 के.	19410304 डे.	—	1
		एस.बी.इंदौर, एस.बी. एन. बैड़ागढ़	11/08	8369838 के.	8276622 डे.	—	93216
	बुरहानपुर	एस.बी.इंदौर, बुरहानपुर	4/08	38715733 के.	38716733 डे.	1000	—
5	छतरपुर	भा.स्टे.बैंक, राजनगर	12/08	1110706 के.	1110916 डे.	210	—
		भा.स्टे.बैंक, लौंडी	7/08	21423026 डे.	1477803 के.	—	54777
		भा.स्टे.बैंक, लौंडी	8/08	23674295 डे.	23677895 के.	—	3600
		भा.स्टे.बैंक, लौंडी	9/08	18867131 डे.	18896131 के.	—	29000
		भा.स्टे.बैंक, लौंडी	10/08	22592613 डे.	22586433 के.	6180	—
		भा.स्टे.बैंक, लौंडी	1/09	14101658 डे.	14201658 के.	—	100000
6	छिन्दवाड़ा	भा.स्टे.बैंक, चंदामेटा	4/08	4087919 के.	4066239 डे.	—	21680
		भा.स्टे.बैंक, चंदामेटा	11/08	9646303 के.	9436513 डे.	—	209790
		भा.स्टे.बैंक, चंदामेटा	1/09	4188098 डे.	4187578 के.	520	—
		भा.स्टे.बैंक, छिन्दवाड़ा	5/08	307815041 डे.	307814041 के.	1000	—
		भा.स्टे.बैंक, छिन्दवाड़ा	3/09	665600243 डे.	665574268 के.	25975	—
		भा.स्टे.बैंक, जुन्नारदेव	6/08	40345458 के.	40346405 डे.	947	—
		भा.स्टे.बैंक, जुन्नारदेव	12/08	35291634 के.	35293594 डे.	1960	—
		भा.स्टे.बैंक, जुन्नारदेव	3/09	31729410 के.	31729409 डे.	—	1
		भा.स्टे.बैंक, सौसर	2/09	10169645 डे.	10103851 के.	65794	—
		भा.स्टे.बैंक, सौसर	3/09	29043624 डे.	29044121 के.	—	497
		भा.स्टे.बैंक, पांडुरना	11/08	4056347 डे.	4200347 के.	—	144000
		भा.स्टे.बैंक, अमरवाड़ा	11/08	15118622 डे.	15116902 के.	1720	—
		भा.स्टे.बैंक, अमरवाड़ा	12/08	26803302 डे.	26790732 के.	12570	—
7	दमोह	भा.स्टे.बैंक, हटा	8/08	20326025 डे.	20359054 के.	—	33029
		भा.स्टे.बैंक, हटा	9/08	17890640 डे.	18195560 के.	—	304920
8	दतिया	भा.स्टे.बैंक, दतिया	7/08	132322443 डे.	132322343 के.	100	—
		भा.स्टे.बैंक, दतिया	3/09	222950942 डे.	222935183 के.	15759	—
	देवास	एस.बी.इंदौर, देवास	3/09	331665317 डे.	331661312 के.	4005	—
		एस.बी.इंदौर, कन्नौद	3/09	29227502 डे.	29227022 के.	480	—
9	डिण्डोरी	भा.स्टे.बैंक, डिण्डोरी	5/08	67462848 डे.	67463770 के.	—	922
		भा.स्टे.बैंक, डिण्डोरी	10/08	157939863 डे.	148727230 के.	9212633	—
		भा.स्टे.बैंक, डिण्डोरी	1/09	204191658 डे.	203709043 के.	382615	—
		भा.स्टे.बैंक, डिण्डोरी	3/09	373713917 डे.	373713542 के.	375	—
	गुना	एस.बी.इंदौर, चाचौड़ा	2/09	11852535 डे.	11889535 के.	—	37000
		एस.बी.इंदौर, राघवगढ़	2/09	17989366 डे.	17989356 के.	10	—
10	ग्वालियर	भा.स्टे.बैंक, ग्वालियर	7/08	213677976 डे.	213676776 के.	1200	—
		भा.स्टे.बैंक, ग्वालियर	2/09	194833525 डे.	194837905 के.	—	4380
11	हरदा	भा.स्टे.बैंक, हरदा	10/08	49981270 डे.	47481300 के.	2499970	—
		भा.स्टे.बैंक, हरदा	3/09	234029857 डे.	235445771 के.	—	1415914
		एस.बी.इंदौर, हरदा	5/08	4850746 के.	4848856 डे.	—	2000
		एस.बी.इंदौर, हरदा	10/08	2499970 के.	पत्रक अप्राप्त	—	2499970
12	होशंगाबाद	भा.स्टे.बैंक, सोहागपुर	4/08	1365006 डे.	1366006 के.	—	1000
		भा.स्टे.बैंक, होशंगाबाद	2/09	187545986 डे.	187543986 के.	2000	—
		भा.स्टे.बैंक, बाबई	2/09	5322281 डे.	5322241 के.	40	—
13	इंदौर सिटी	भा.स्टे.बैंक, पुराना पलासिया	4/08	26392307 के.	26392305 डे.	—	2
		भा.स्टे.बैंक, इंदौर	12/08	207618478 के.	207635154 डे.	16676	—

		सिटी					
	इंदौर	एस.बी.इंदौर, सफीनगर	2/09	313899970 डे.	313899980 के.	—	10
14	जबलपुर सिटी	भा.स्टे.बैंक, टी.सी.जबलपुर	9/08	3967726888 डे.	3967693667 के.	33221	—
		भा.स्टे.बैंक, टी.सी.जबलपुर	2/09	4778897234 डे.	4778896434 के.	800	—
15	जबलपुर	भा.स्टे.बैंक, सिहोरा	2/09	14775073 डे.	14796713 के.	—	21640
		भा.स्टे.बैंक, सिहोरा	3/09	34292271 डे.	34291671 के.	600	—
		भा.स्टे.बैंक, जबलपुर	1/09	431857215 डे.	4318881459 के.	—	24244
		भा.स्टे.बैंक, टी.सी.जबलपुर	3/09	573912192 डे.	5739420815 के.	91377	—
		भा.स्टे.बैंक, पाटन	3/09	30174106 डे.	30174206 के.	—	100
16	झाबुआ	भा.स्टे.बैंक, झाबुआ	5/08	181051436 डे.	181048436 के.	3000	—
		भा.स्टे.बैंक, झाबुआ	3/09	440307269 डे.	440304169 के.	3100	—
		एस.बी.इंदौर, जोबट	4/08	26470987 डे.	26470787 के.	200	—
17	खण्डवा	भा.स्टे.बैंक, सी.एल. खण्डवा	9/08	96437202 डे.	96423382 के.	13820	—
	खरगौन	एस.बी.इंदौर, सनावद	9/08	25820499 डे.	25423159 के.	397340	—
		एस.बी.इंदौर, मंडलेश्वर	1/09	5618024 डे.	5618424 के.	—	400
		एस.बी.इंदौर, कसरावद	2/09	18510188 डे.	18510228 के.	—	40
18	मण्डला	भा.स्टे.बैंक, नैनपुर	8/08	10192943 डे.	10192993 के.	—	50
		भा.स्टे.बैंक, निवास	8/08	8398606 डे.	8398156 के.	450	—
		भा.स्टे.बैंक, मण्डला	11/08	182893686 डे.	182985760 के.	—	92074
19	मोतीमहल	भा.स्टे.बैंक, मोतीमहल	4/08	165236161 के.	166036161 डे.	800000	—
		भा.स्टे.बैंक, मोतीमहल	12/08	93132498 डे.	93132497 के.	1	—
20	मंदसौर	भा.स्टे.बैंक, मंदसौर	2/09	156415558 डे.	156414910 के.	648	—
		एस.बी.इंदौर, मल्हारगढ़	8/08	8717786 डे.	8717586 के.	200	—
		एस.बी.इंदौर, तेलीखेड़ा	2/09	449724 के.	449718 डे.	—	6
		एस.बी.इंदौर, गरोठ	1/09	95186616 के.	95187116 डे.	500	—
		एस.बी.इंदौर, मंदसौर	3/09	78259928 के.	82727982 डे.	4468054	—
		सेन्ट्रल बैंक, सुवासरा	4/08	1281313 डे.	1281396 के.	—	83
		सेन्ट्रल बैंक, सुवासरा	5/08	2681639 डे.	2787856 के.	—	106217
		सेन्ट्रल बैंक, सुवासरा	7/08	1922959 डे.	1923017 के.	—	58
		सेन्ट्रल बैंक, सुवासरा	10/08	1959212 डे.	1949212 के.	10000	—
		सेन्ट्रल बैंक, सुवासरा	12/08	2771796 डे.	2768716 के.	3080	—
		सेन्ट्रल बैंक, सुवासरा	1/09	3312278 डे.	3312288 के.	—	10
21	मुरैना	भा.स्टे.बैंक, सबलगढ़	5/08	3307900 डे.	3307456 के.	444	—
		भा.स्टे.बैंक, सबलगढ़	6/08	17987028 डे.	18987028 के.	—	1000000
		भा.स्टे.बैंक, सबलगढ़	7/08	19024132 डे.	20327459 के.	—	1303327
		भा.स्टे.बैंक, सबलगढ़	8/08	20507324 डे.	20507319 के.	5	—
		भा.स्टे.बैंक, सबलगढ़	9/08	25613859 डे.	25615084 के.	—	1225
		भा.स्टे.बैंक, सबलगढ़	10/08	23256374 डे.	23185504 के.	70870	—
		भा.स्टे.बैंक, सबलगढ़	11/08	17023127 डे.	17022727 के.	400	—
		भा.स्टे.बैंक, सबलगढ़	12/08	27561275 डे.	27552275 के.	9000	—
		भा.स्टे.बैंक, सबलगढ़	1/09	51839972 डे.	51845252 के.	—	5080
		भा.स्टे.बैंक, सबलगढ़	2/09	26432170 डे.	26376941 के.	55229	—

		भा.स्टे.बैंक, सबलगढ़	3/09	82832813 डे.	82898549 के.	—	65736
		एस.बी.इंदौर, अम्बाह	6/08	11361925 डे.	11532902 के.	—	170977
		एस.बी.इंदौर, अम्बाह	8/08	19939311 डे.	21091611 के.	—	1152000
		एस.बी.इंदौर, अम्बाह	9/08	20507492 डे.	20985729 के.	—	478237
		एस.बी.इंदौर, अम्बाह	10/08	25385547 डे.	25215495 के.	170052	—
		एस.बी.इंदौर, अम्बाह	1/09	22326346 डे.	22326336 के.	10	—
		एस.बी.इंदौर, अम्बाह	2/09	20650717 डे.	20650817 के.	—	100
		एस.बी.इंदौर, जौरा	2/09	17176130 डे.	18176136 के.	—	6
		एस.बी.इंदौर, जौरा	3/09	57353527 डे.	57353531 के.	—	4
22	नरसिंहपुर	भा.स्टे.बैंक, गाडरवाड़ा	4/08	3583907 डे.	3774430 के.	—	190523
23	पन्ना	भा.स्टे.बैंक, अजयगढ़	8/08	7397767 डे.	7434648 के.	—	36881
		भा.स्टे.बैंक, शाहनगर	1/09	4923470 डे.	4923464 के.	6	—
	राजगढ़	एस.बी.इंदौर, सारंगपुर	6/08	4119752 डे.	4019752 के.	—	100000
		एस.बी.इंदौर, ब्यावरा	8/08	11587614 डे.	11587544 के.	70	—
		एस.बी.इंदौर, राजगढ़	1/09	180263762 डे.	179315318 के.	948444	—
24	रतलाम	भा.स्टे.बैंक, सीओएल रतलाम	9/08	174351690 डे.	174365510 के.	—	13820
		सेन्ट्रल बैंक, बांजना	6/08	8617299 डे.	8618299 के.	—	1000
		सेन्ट्रल बैंक, बांजना	7/08	7332967 डे.	7542981 के.	—	210014
		सेन्ट्रल बैंक, बांजना	9/08	8953457 डे.	8953475 के.	—	18
		सेन्ट्रल बैंक, बांजना	10/08	20155022 डे.	20169422 के.	—	14400
		सेन्ट्रल बैंक, बांजना	11/08	9727618 डे.	9774156 के.	—	46538
		सेन्ट्रल बैंक, बांजना	12/08	10457829 डे.	10461439 के.	—	3610
		सेन्ट्रल बैंक, बांजना	1/09	2195895 डे.	10880381 के.	—	8684486
		सेन्ट्रल बैंक, बांजना	3/09	19788073 डे.	19788973 के.	—	900
25	रीवा	भा.स्टे.बैंक, हनुमना	6/08	4493696 डे.	4494696 के.	—	1000
		भा.स्टे.बैंक, हनुमना	10/08	12427260 डे.	12427160 के.	100	—
		भा.स्टे.बैंक, रीवा	10/08	432050099 डे.	432031350 के.	18749	—
		भा.स्टे.बैंक, रीवा	12/08	420564050 डे.	420564050.67 के.	—	0.67
		एस.बी.इंदौर, रीवा	4/08	16957538 के.	16953538 डे.	—	4000
		एस.बी.इंदौर, रीवा	6/08	9366243 के.	9366192 डे.	—	51
		इला.बैंक, मऊगंज	6/08	20425092 डे.	20423132 के.	1960	—
		पी.एन.बी., टाइचोरी	4/08	15769668 डे.	15769660 के.	8	—
		पी.एन.बी., सिरमौर	11/08	15079359 डे.	14625109 के.	424250	—
		पी.एन.बी., सिरमौर	1/09	16959252 डे.	16959262 के.	—	10
		पी.एन.बी., सिरमौर	2/09	14797863 डे.	14797902 के.	—	39
		पी.एन.बी., सिरमौर	3/09	23821403 डे.	23821364 के.	39	—
26	रायसेन	भा.स्टे.बैंक, रायसेन	2/09	188915027 डे.	188914967 के.	60	—
		भा.स्टे.बैंक, रायसेन	3/09	323817268 डे.	323812348 के.	4920	—
		भा.स्टे.बैंक, सिलवानी	11/08	7303993 डे.	7304393 के.	—	400
		भा.स्टे.बैंक, सिलवानी	2/09	5728702 डे.	5727702 के.	1000	—
		सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	4/08	5354633 डे.	7050966 के.	—	1696333
		सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	5/08	3499982 डे.	3727120 के.	—	227138
		सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	6/08	11004171 डे.	11227314 के.	—	223143
		सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	7/08	3212737 डे.	4293411 के.	—	1080674
		सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	8/08	22102800 डे.	24558118 के.	—	2455316
		सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	9/08	8140366 डे.	8106813 के.	33553	—
		सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	10/08	26403421 डे.	27256199 के.	—	852778

		सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	11/08	8694609 डे.	9006554 के.	—	311945
		सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	12/08	5084716 डे.	5093712 के.	—	8996
		सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	1/09	10348250 डे.	10580755 के.	—	232505
		सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	2/09	8179267 डे.	8179299 के.	—	32
		सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	3/09	10551717 डे.	10389478 के.	162339	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौरतगंज	4/08	3265646 डे.	3269146 के.	—	3500
		सेन्ट्रल बैंक, गौरतगंज	5/08	30578366 डे.	30493407 के.	84959	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौरतगंज	6/08	9052598 डे.	9552125 के.	—	499527
		सेन्ट्रल बैंक, गौरतगंज	7/08	6783977 डे.	6035380 के.	748597	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौरतगंज	9/08	5805698 डे.	5256526 के.	549172	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौरतगंज	10/08	9357258 डे.	8997394 के.	359864	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौरतगंज	11/08	7054890 डे.	7208669 के.	—	153779
		सेन्ट्रल बैंक, गौरतगंज	12/08	6562314 डे.	6571514 के.	—	9200
		सेन्ट्रल बैंक, गौरतगंज	1/09	28523224 के.	28681286 डे.	158062	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौरतगंज	2/09	6832251 डे.	6797092 के.	35159	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौरतगंज	3/09	6814866 डे.	7734575 के.	—	919709
		सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	4/08	110619906 के.	119892133 डे.	9272227	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	5/08	34624217 डे.	30172818 के.	1451399	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	6/08	4931580 के.	5195128 डे.	263548	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	7/08	130811861 डे.	131240692 के.	—	428831
		सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	8/08	9893373 डे.	9774565 के.	118808	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	9/08	9389781 डे.	8389780 के.	1000001	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	10/08	4459312 डे.	4487812 के.	—	28500
		सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	11/08	4364 डे.	13636 के.	18000	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	12/08	1574937 के.	1575037 डे.	100	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	1/09	5338937 डे.	5298939 के.	39998	—
		सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	2/09	9507774 के.	9504774 डे.	—	3000
		सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	3/09	17944515 के.	17944514 डे.	—	1
27	सागर	भा.स्टे.बैंक,सी.एल. सागर	7/08	318463049 डे.	318441121 के.	21928	—
		भा.स्टे.बैंक, सी.एल. सागर	2/09	209512586 डे.	209513301 के.	—	715
		भा.स्टे.बैंक, गढ़ाकोटा	7/08	3780209 डे.	3778209 के.	2000	—
		भा.स्टे.बैंक, गढ़ाकोटा	10/08	6844773 डे.	6864643 के.	—	19870
		भा.स्टे.बैंक, देवरी	8/08	12572940 डे.	12582940 के.	—	10000
		भा.स्टे.बैंक, देवरी	1/09	18391693 डे.	18416693 के.	—	2500
		भा.स्टे.बैंक, देवरी	2/09	12241968 डे.	12241978 के.	—	10
		भा.स्टे.बैंक, बीना	3/09	24615069 के.	24689344 डे.	74275	—
		भा.स्टे.बैंक, खुरई	11/08	11920723 डे.	11916535 के.	4188	—
		सेन्ट्रल बैंक,बण्डाबेली	4/08	8162730 डे.	8656241 के.	—	493511
		सेन्ट्रल बैंक,बण्डाबेली	5/08	6717069 डे.	15605820 के.	—	8888751
		सेन्ट्रल बैंक,बण्डाबेली	6/08	6317693 के.	9250823 डे.	—	15568516
		सेन्ट्रल बैंक,बण्डाबेली	7/08	5686906 डे.	14925663 के.	—	9238757
		सेन्ट्रल बैंक,बण्डाबेली	8/08	780365 के.	14145298 डे.	—	14925663
		सेन्ट्रल बैंक,बण्डाबेली	9/08	316149 के.	13589548 डे.	—	13905697
		सेन्ट्रल बैंक,बण्डाबेली	10/08	17870073 डे.	17870498 के.	—	425
		सेन्ट्रल बैंक,बण्डाबेली	11/08	12450753 के.	15459248 डे.	—	27910001
		सेन्ट्रल बैंक,बण्डाबेली	12/08	15373826 डे.	15313531 के.	60295	—

		सेन्ट्रल बैंक, बण्डाबेली	1/09	2570346 डे.	2569333 के.	1013	—
		सेन्ट्रल बैंक, बण्डाबेली	2/09	13099572 डे.	17196820 के.	—	4097248
		सेन्ट्रल बैंक, बण्डाबेली	3/09	35235442 डे.	39709490 के.	—	4474048
28	सतना	भा.स्टे.बैंक, मैहर	4/08	15105753 के.	14645668 डे.	—	460085
		भा.स्टे.बैंक, मैहर	2/09	91943872 डे.	93849406 के.	—	1705534
		भा.स्टे.बैंक, सतनासिटी	7/08	59890516.40के.	61524972 डे.	1634455.60	—
		भा.स्टे.बैंक, सतनासिटी	1/09	47734523 के.	47747508 डे.	12985	—
		भा.स्टे.बैंक, सतना	2/09	342446977 डे.	342396977 के.	50000	—
		इला.बैंक, अमरपाटन	4/08	50739124 डे.	50749775 के.	—	10651
	श्यापुर	एस.बी.इंदौर, विजयपुर	11/08	6199807 डे.	6394397 के.	—	194590
29	सिवनी	भा.स्टे.बैंक, सिवनी	10/08	276949637 डे.	276948569 के.	68	—
		भा.स्टे.बैंक, सिवनीमालवा	2/09	14070227 डे.	14070177 के.	50	—
		सेन्ट्रल बैंक, लखनादौन	4/08	20340641 डे.	23352565 के.	—	3011924
		सेन्ट्रल बैंक, लखनादौन	5/08	31774587 डे.	31775097 के.	—	510
		सेन्ट्रल बैंक, लखनादौन	8/08	51176387 डे.	53526387 के.	—	2350000
		सेन्ट्रल बैंक, लखनादौन	9/08	42415664 डे.	42745619 के.	45	—
		सेन्ट्रल बैंक, लखनादौन	10/08	45489446 डे.	49649824 के.	—	4160378
		सेन्ट्रल बैंक, लखनादौन	1/09	41957533 डे.	45735144 के.	—	3777611
		सेन्ट्रल बैंक, लखनादौन	2/09	31218845 डे.	32588545 के.	—	1369700
		सेन्ट्रल बैंक, लखनादौन	3/09	78461201 डे.	79760901 के.	—	1299700
		सेन्ट्रल बैंक, केवलारी	4/08	4292906 डे.	4028946 के.	263960	—
		सेन्ट्रल बैंक, केवलारी	5/08	13545379 डे.	13810859 के.	—	265480
		सेन्ट्रल बैंक, केवलारी	6/08	6222087 के.	3571487 डे.	—	2650600
		सेन्ट्रल बैंक, केवलारी	9/08	16634706 डे.	16679169 के.	—	44463
		सेन्ट्रल बैंक, केवलारी	10/08	20611417 डे.	20356417 के.	255000	—
		सेन्ट्रल बैंक, केवलारी	12/08	22052045 डे.	22107845 के.	—	55800
		सेन्ट्रल बैंक, केवलारी	1/09	20258911 डे.	20257736 के.	1175	—
		सेन्ट्रल बैंक, केवलारी	2/09	16089784 डे.	16508266 के.	—	418482
		सेन्ट्रल बैंक, केवलारी	3/09	33807456 डे.	34633903 के.	—	826447
30	शहडौल	भा.स्टे.बैंक, शहडौल	7/08	21586673 के.	21590442 डे.	3769	—
		भा.स्टे.बैंक, शहडौल	10/08	79532539 डे.	79350132 के.	2407	—
		भा.स्टे.बैंक, शहडौल	2/09	58515100 डे.	58515700 के.	—	600
	शिवपुरी	एस.बी.इंदौर, शिवपुरी	6/08	345328870 डे.	345328872 के.	—	2
		एस.बी.इंदौर, करैरा	9/08	9852498 डे.	9852398 के.	100	—
		एस.बी.इंदौर, करैरा	10/08	16397987 डे.	16394887 के.	3100	—
		एस.बी.इंदौर, कोलारस	10/08	16212338 डे.	16212337 के.	1	—
		एस.बी.इंदौर, कोलारस	1/09	13057370 डे.	13067420 के.	—	10050
		एस.बी.इंदौर, पिछोर	10/08	25552139 डे.	25553139 के.	—	1000
31	सीहोर	भा.स्टे.बैंक, नसरुल्लागंज	6/08	12125588 डे.	12125575 के.	13	—
		भा.स्टे.बैंक, आष्टा	2/09	17411382 डे.	17411292 के.	90	—
		यूनि.बैंक, इच्छावर	5/08	11498287 डे.	11547674 के.	—	49387
32	सीधी	भा.स्टे.बैंक, बैढन	8/08	683104798 के.	683082961 डे.	—	21831
		भा.स्टे.बैंक, बैढन	9/08	749038803 के.	748938803 डे.	—	100000
		भा.स्टे.बैंक, बैढन	10/08	775627792 के.	775577797 डे.	—	49995
		भा.स्टे.बैंक, बैढन	1/09	979641065 के.	979617259 डे.	—	23806
		भा.स्टे.बैंक, बैढन	2/09	954318137 के.	954303070 डे.	—	15067

		भा.स्टे.बैंक, एडीबी चुरहट	8/08	44639259 डे.	44939259 के.	—	300000
		भा.स्टे.बैंक, एडीबी चुरहट	12/08	33504110 डे.	33504209 के.	—	99
		भा.स्टे.बैंक, एडीबी चुरहट	2/09	82822161 डे.	82897225 के.	—	31064
		भा.स्टे.बैंक, सीधी	2/09	205180743 डे.	205180443 के.	300	—
		भा.स्टे.बैंक, सीधी	3/09	267353972 डे.	164681794 के.	102672178	—
		यूनि.बैंक, अमैला	8/08	23845894 डे.	23845904 के.	—	10
		यूनि.बैंक, कुसमी	3/09	19140890 डे.	19147198 के.	—	6308
33	टीकमगढ़	भा.स्टे.बैंक, निवाड़ी	4/08	93118526 डे.	93118524 के.	2	—
		भा.स्टे.बैंक, निवाड़ी	6/08	24441366 डे.	24441367 के.	—	1
		भा.स्टे.बैंक, निवाड़ी	1/09	14985121 डे.	14985125 के.	—	4
		भा.स्टे.बैंक, निवाड़ी	2/09	13083325 डे.	13436095 के.	—	352770
		भा.स्टे.बैंक, जतारा	7/08	18445542 डे.	18347542 के.	98000	—
		भा.स्टे.बैंक, जतारा	8/08	27528851 डे.	27708010 के.	—	179159
		भा.स्टे.बैंक, जतारा	9/08	10882445 डे.	13471557 के.	—	2589112
		भा.स्टे.बैंक, जतारा	11/08	14201829 डे.	14101829 के.	100000	—
		भा.स्टे.बैंक, जतारा	12/08	11565833 डे.	11573083 के.	—	7250
		भा.स्टे.बैंक, जतारा	2/09	15278171 डे.	16011193 के.	—	733022
		भा.स्टे.बैंक, जतारा	3/09	30504382 डे.	28692719 के.	811663	—
		भा.स्टे.बैंक, टीकमगढ़	12/08	112312170 डे.	112304923 के.	7247	—
		भा.स्टे.बैंक, टीकमगढ़	2/09	133774005 डे.	133896393 के.	—	122385
		एस.बी.इंदौर, टीकमगढ़	10/08	16990684 के.	16990634 डे.	—	50
34	उज्जैन	भा.स्टे.बैंक, एम.एन. उज्जैन	1/09	281956445.80 डे.	281956446 के.	—	0.20
		एस.बी.इंदौर, कंथाल	10/08	29771245 के.	29782116 डे.	10871	—
		बैंक आफ इंडिया, घटिया	6/08	7434591 डे.	7433991 के.	600	—
35	उमरिया	भा.स्टे.बैंक, उमरिया	8/08	126923103 डे.	134253324 के.	—	7330221
36	वल्लभ भवन	भा.स्टे.बैंक, भोपाल मुख्य	3/09	1929202891के.	1927574703 डे.	—	1628188
	विदिशा	यूको बैंक, ग्यारसपुर	4/08	2319506 डे.	2327400 के.	—	7894
		यूको बैंक, ग्यारसपुर	5/08	2199273 डे.	2191382 के.	7891	—
		यूको बैंक, ग्यारसपुर	6/08	1893467 डे.	1895567 के.	—	2100
37	विन्ध्याचल भवन	भा.स्टे.बैंक, एम.एल.ए. रेस्टहाउस	5/08	193945142 के.	203616604 डे.	9671462	—
		भा.स्टे.बैंक, एम.एल.ए. रेस्टहाउस	1/09	547065591 के.	546965591 डे.	—	100000
		एस.बी.इंदौर, साइबर ट्राइ	1/09	68733 के.	72733 डे.	4000	—
		एस.बी.इंदौर, एम.पी. नगर	8/08	47321967 के.	47341727 डे.	19760	—
		एस.बी.इंदौर, साइबर भोपाल	8/08	4920 के.	—	—	4920

परिशिष्ट संख्या – 9'ब'

(पैरा-2.9)

**31 मार्च 09 की स्थिति में रिजर्व बैंक डिपॉजिट (केन्द्रीय) के अंतर्गत विसंगतियों की लंबित मदों की सूची
(दिनांक 31.3.1990 के पूर्व की लंबित मदें)**

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	क्रेडिट	डेबिट	अभ्युक्तियां
1	सतना	सतना कोषालय	4 / 77	—	1062.48	को. आर.बी.डी. 838603.70 को. नगद लेखा 837541.22 नगद लेखा एवं आर.बी.डी. में अंतर
2	सीहोर	एस.बी.आई. 1264 / नसरुल्लागंज	2 / 83	300	—	नसरुल्लागंज शाखा के बैंक राशि रु. 300 गलती से माह 2/83 में कुरवाई के विरुद्ध दर्ज किया गया था । माह 2/83 में कुरवाई बैंक राशि रु. 300 के आर.बी.आई. द्वारा 2/96 में समायोजन किया गया था अब नसरुल्लागंज के रु. 300 (कोषालय राशि) समायोजन के अभाव में लंबित है ।
3	दमोह	एस.बी.आई. 1332 / हटा	12 / 87	—	1526	संबंधित अभिलेख के अभाव में इस कार्यालय द्वारा समायोजन नहीं किया जा सका
4	सीधी	एस.बी.आई. 1262 / सीधी	6 / 87	64756.95	—	बैंक परिशोधन
5	देवास	स्टेट बैंक इंदौर 3007 / देवास	9 / 88	—	34992.50	—
6	जिला जबलपुर	एस.बी.आई. 0390 / जबलपुर	11 / 88	—	88428.17	—
7	जिला जबलपुर	—	3 / 89	31846	—	—
8	जिला जबलपुर	—	12 / 89	114157.82	—	—
9	उज्जैन	एस.बी.आई. 3018 / बुधवारा	8 / 89	51715	—	—
10	मंदसौर	एस.बी.आई. 0422 / मंदसौर	1 / 90	207365.23	—	—
11	ग्वालियर	एस.बी.आई. 0377 / मुख्य शाखा	3 / 90	—	37314	कोषालय परिशोधन
	योग			470141	163323.15	306817.85 क्रेडिट

परिशिष्ट संख्या – 9'स'

(पैरा-2.9)

**31 मार्च 09 की स्थिति में रिजर्व बैंक डिपॉजिट (केन्द्रीय) के अंतर्गत विसंगतियों की लंबित मदों की सूची
(दिनांक 01.4.1990 के बाद की लंबित मदें)**

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	क्रेडिट	डेबिट	अभ्युक्तियां
1	शहडोल	एस.बी.आई. 0481 / शहडोल	4 / 90	24569	—	बैंक परिशोधन
2	—''—	—''—	7 / 90	—	38068.75	—''—
3	—''—	—''—	10 / 90	—	21824	—''—
4	रतलाम	एस.बी.आई. 6983 (0466 पुराना) / रतलाम	7 / 90	—	34265	—''—
5	विदिशा	स्टेट बैंक इंदौर 3075 / विदिशा	7 / 90	—	26780	—''—
6	इंदौरसिटी	एस.बी.आई. 0387 / मुख्य शाखा	7 / 90	33005.30	—	—''—
7	—''—	—''—	4 / 91	790166	—	—''—
8	—''—	—''—	5 / 92	—	191105	—''—
9	—''—	—''—	6 / 92	—	216233	—''—
10	—''—	—''—	7 / 92	—	63000	—''—
11	—''—	—''—	2 / 93	—	76524	—''—
12	सीधी	एस.बी.आई. 1262 / सीधी	8 / 90	—	43771	—''—
13	—''—	—''—	5 / 91	28048	—	—''—
14	रायसेन	एस.बी.आई. 0462 / रायसेन	12 / 90	—	24129	—''—
15	जिला भोपाल	एस.बी.आई. 0332 / सुल्तानियां रोड	3 / 91	—	931065	—''—
16	होशंगाबाद	एस.बी.आई. 0383 / होशंगाबाद	3 / 91	—	133893	—''—
17	सतना	एस.बी.आई. 0474 / सतना	6 / 91	134404	—	—''—
		योग		1010192.30	1830657.75	820465.45 डेबिट निबल

परिशिष्ट संख्या-10

(पैरा-3.3.1, 3.3.3)

पेंशन के त्रुटिपूर्ण सारांशीकरण के परिणामस्वरूप सारांशीकृत राशि का अधिक भुगतान

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि(2009-10)	कुल राशि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	03	16030	351352
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	01	2795	65520
3	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	04	37582	193128
4	पन्ना तथा शाहनगर	23	9325	171253
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

परिशिष्ट 48

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भुगतान किये जाने वाले परिवार पेंशन प्रकरणों की कोषालय द्वारा दो प्रतिशत जांच न किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय	लेखा निरीक्षण अवधि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4/08 से 3/09
2	शयोपुर	5/08 से 3/09
3	गुना तथा राधौगढ़	6/08 से 4/09
4	कटनी	5/08 से 4/09
5	हरदा	6/08 से 4/09
6	अनूपुपर	5/08 से 5/09
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

परिशिष्ट संख्या-11

(पैरा-3.3.2)

तीन वर्ष से अधिक समय तक अनाहरित पेंशन प्रकरण

स.क्र.	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. क्रमांक	जी.पी.ओ. क्रमांक	जारी दिनांक
1				
2				
3				

परिशिष्ट संख्या-12

(पैरा-3.3.3 बी-II)

बैंक द्वारा पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरणों में अधिक भुगतान

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि (2009-10)	कुल राशि
1	मुरेना तथा सबलगढ़, जौरा	04	80596	320851
2	गुना तथा राधौगढ़	03	90442	120336
3	कटनी	02	10326	10326
4	हरदा	01	18276	539738
5	अनूपपुर	01	11917	247524
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

परिशिष्ट संख्या-13

(पैरा-3.3.3 सी-i)

पेंशन निर्धारण हेतु मूल वेतन के साथ मंहगाई पेंशन प्रदाय कर अधिक भुगतान

स.क्र.	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. क्रमांक	अवधि	राशि
1				
2				
3				
4				
5				
6				

परिशिष्ट संख्या-14

(पैरा-3.3.3 सी-ii)

परिवार पेंशन प्रकरण जिनमें पेंशन की घटी दर बढी दर से अधिक निर्धारित की गई है

स.क्र.	पेंशनर का नाम	अंतिम वेतन	बढी दर से पेंशन राशि	घटी दर से पेंशन राशि
1				
2				
3				
4				
5				

परिशिष्ट संख्या-15

(पैरा-3.4.10)

सामान्य भविष्य निधि प्राधिकार पत्रों का वैधता अवधि में भुगतान न किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	07	1005197
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	01	—
3	श्योपुर	05	1190700
4	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	08	1192870
5	पन्ना तथा शाहनगर	03	419977
6	अशोकनगर तथा मुंगावली	02	507908
7	गुना तथा राधौगढ़	03	117503
8	अनूपपुर	03	702132
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			

38			
39			
40			
41			
42			
43			

परिशिष्ट संख्या-16

(पैरा-3.5.4 एवं 3.9.3)

मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन से नियमानुसार स्रोत पर आयकर एवं अधिभार की कटौती न करना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि	राशि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4/08 से 3/09	590926
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	4/08 से 3/09	759213
3	श्योपुर	5/08 से 3/09	210911
4	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	4/08 से 3/09	996811
5	पन्ना तथा शाहनगर	6/08 से 4/09	201068
6	अशोकनगर तथा मुंगावली	4/08 से 4/09	372616
7	गुना तथा राधोगढ़	6/08 से 4/09	485747
8	कटनी	5/08 से 4/09	624301
9	हरदा	6/08 से 4/09	434880
10	अनूपपुर	5/08 से 5/09	63911
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			

परिशिष्ट संख्या-17

(पैरा-3.5.5 एवं 3.10.7)

विभाग द्वारा चालान से जमा राशि तथा कोषालय से आहरित राशि का प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण न किया जाना

स. क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	चालान से जमा राशि का पुष्टि न किया जाना	कोषालय से आहरित राशि का प्रमाणीकरण न किया जाना
1	शिवपुरी तथा पिछोर	नहीं किया जा रहा है	नहीं किया जा रहा है
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	—”—	—”—
3	श्योपुर	—”—	—”—
4	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	—”—	—”—
5	पन्ना तथा शाहनगर	—”—	—”—

6	अशोकनगर तथा मुंगावली	--	--
7	गुना तथा राधौगढ़	--	--
8	अनूपपुर	--	--
9		--	--
10		--	--
11		--	--
12		--	--
13		--	--
14		--	--
15		--	--
16		--	--
17		--	--
18		--	--
19		--	--
20		--	--
21		--	--
22		--	--
23		--	--
24		--	--
25		--	--
26		--	--
27		--	--
28		--	--
29		--	--
30		--	--
31		--	--
32		--	--
33		--	--
34		--	--
35		--	--
36		--	--
37		--	--

परिशिष्ट संख्या-18

(पैरा-3.5.9)

कोषालय नियम 27 के अंतर्गत अनियमित आहरण

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मद संख्या	कुल राशि	असमायोजित राशि
1	भिण्ड तथा अटेर, लहार	127	15195090	3942530
2	श्योपुर	—	2018178	2018178
3	पन्ना तथा शाहनगर	—	39487466	20165945
4	अशोकनगर तथा मुंगावली	—	37182768	7262890
5	कटनी	—	153854928	37530793
6	हरदा	777	3805743	3805743
7	अनूपपुर	80	13594924	11634200

परिशिष्ट संख्या-19

(पैरा-3.5.10)

सहायक अनुदान/अंशदान की राशि का गलत प्रपत्र पर आहरण

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	आहरित प्रपत्र	राशि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	एम.पी.टी.सी. 76	364800
2			

परिशिष्ट संख्या-20

(पैरा-3.5.11)

बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु अनियमित अग्रिम आहरण

स.क्र.	कोषा./ उपकोषा. का नाम	पी.डी. खाते में जमा राशि	बैंक या अन्य खाते में जमा राशि	कुल राशि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	41783829	9000000	50783829
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	7863442	—	7863442
3	श्योपुर	—	77769000	77769000
4	अनूपुपर	—	8884000	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

परिशिष्ट संख्या-21

(पैरा-3.5.12)

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4/08 से 3/09
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	4/08 से 3/09
3	श्योपुर	5/08 से 3/09
4	पन्ना तथा शाहनगर	6/08 से 4/09

5	अशोकनगर तथा मुंगावली	4/08 से 4/09
6	गुना तथा राधौगढ़	6/08 से 4/09
7	अनूपपुर	5/08 से 5/09
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

परिशिष्ट संख्या-22

(पैरा-3.6.1 एवं 3.6.2)

अदावाकृत राजस्व/अन्य जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत न करना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मद संख्या	राशि
1	शिवपुरी तथा पिछोर		368611
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	49	801883
3	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	93	108279
4	अशोकनगर तथा मुंगावली	—	669427

5	गुना तथा राधौगढ़	161	1386002
6	कटनी	90	388451
7	हरदा	23	307290
8	अनूपुपर	—	10000
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

परिशिष्ट संख्या-23

(पैरा-3.6.3)

समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर बन्द न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मद संख्या	राशि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	11	354962948
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	03	29219986
3	शयोपुर	03	36725001
4	गुना तथा राधौगढ़	02	2147294
5	हरदा	01	2733674
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

परिशिष्ट संख्या-24

(पैरा-3.6.6)

व्यक्तिगत जमा की राशि नियमानुसार राजस्व जमा में अंतरित न करना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मद संख्या	राशि
1	शिवपुरी तथा पिछोर		2574378.71
2	श्योपुर	03	72176
3	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	10	13082630.37
4	पन्ना तथा शाहनगर	03	84061
5	गुना तथा राधौगढ़	04	617055
6	कटनी	05	220263
7	हरदा	12	2937347
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

25			
26			
27			
28			
29			

परिशिष्ट संख्या-

(पैरा-)

मुद्रांक की डबल लॉक पंजी शेष एवं कम्प्यूटर प्रणाली शेष में अंतर

स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम	डबल लॉक पंजी शेष	कम्प्यूटर प्रणाली शेष	अंतर की राशि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	263998108	308317792	49280824
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				

परिशिष्ट संख्या-26

(पैरा-3.6.13)

राजस्व जमा पंजी में प्रमाण पत्र अंकित न करना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय	लेखा निरीक्षण अवधि
1	भिण्ड तथा अटेर, लहार	4/08 से 3/09
2	हरदा	6/08 से 4/09
3		
4		
5		
6		
7		
8		

9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

परिशिष्ट संख्या-27

(पैरा-3.6.14)

सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख एवं कोषालयीन अभिलेख में अंतर

स. क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	न्यायालयीन अभिलेख के अनुसार शेष	कोषालयीन अभिलेख के अनुसार शेष	अंतर की राशि
1	अशोकनगर तथा मुंगावली	829064	790772	38292
2	कटनी	3596217	1729556	1865661
3	हरदा	3230840	2710444	520396
4				

परिशिष्ट संख्या-28

(पैरा-3.6.15)

व्यक्तिगत निक्षेप खातों के धन ऋण पत्रक अनुसार शेष एवं प्रशासक से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेषों में अंतर

स. क्र.	कोषा./उपकोषा.	धन ऋण पत्रक अनुसार शेष	प्रशासक के प्रमाण पत्र अनुसार शेष	अंतर
1	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	941045	1955197	1014152

2				
---	--	--	--	--

परिशिष्ट संख्या-29

(पैरा-3.6.16)

व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में केन्द्रांश एवं राज्यांश के संबंध में

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय	लेखा निरीक्षण अवधि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4/08 से 3/09
2	श्योपुर	5/08 से 3/09
3	अशोकनगर तथा मुंगावली	4/08 से 4/09
4	अनूपपुर	5/08 से 5/09
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		

34		
35		
36		

परिशिष्ट संख्या-30

(पैरा-3.7.2)

चैकों के धन ऋण पत्रकों का त्रुटिपूर्ण संधारण

कोषालय	प्रारंभिक शेष / राशि	माह में जारी चैक / राशि	नष्ट चैक / राशि	व्यपगत चैक / राशि	कुल चैक / राशि	निकास चैक / राशि	अंतशेष / राशि
अशोकनगर तथा मुंगावली	184 / 34114235	1621 / 172160289	—	03 / 1200	1802 / 206273324	1800 / 205315238	02 / 958086
गुना तथा राधौगढ़	418 / 17678902	2122 / 188931445	—	14 / 92249	2526 / 206518098	1513 / 137748683	1013 / 68769415

परिशिष्ट संख्या-31

(पैरा-3.8.1-i)

दृढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि	वर्ष जिसमें प्रमाण पत्र अपेक्षित रहे
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4/08 से 3/09	2009-10
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	4/08 से 3/09	—"—
3	श्योपुर	5/08 से 3/09	—"—
4	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	4/08 से 3/09	—"—
5	अशोकनगर तथा मुंगावली	4/08 से 4/09	—"—
6	हरदा	6/08 से 4/09	—"—
7	अनूपपुर	5/08 से 5/09	—"—
8			
9			
10			
11			

12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

परिशिष्ट संख्या-32

(पैरा-3.8.1-ii)

कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ कक्ष में बीट चार्ट न लगाया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि
1	श्योपुर	5/08 से 3/09
2	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	4/08 से 3/09
3	पन्ना तथा शाहनगर	6/08 से 4/09
4	अशोकनगर तथा मुंगावली	4/08 से 4/09
5	अनूपपुर	5/08 से 5/09
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

परिशिष्ट संख्या-33

(पैरा-3.8.1-iii)

कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ कक्ष हेतु उपयोग में लाये गये अग्निशमन यंत्र में द्रव न भरा होना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि	अवधि जिसमें ध्रुव भरा हुआ न पाया जाना
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4/08 से 3/09	2009-10
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	4/08 से 3/09	—
3	श्योपुर	5/08 से 3/09	—
4	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	4/08 से 3/09	—
5	अशोकनगर तथा मुंगावली	4/08 से 4/09	—
6	गुना तथा राधोगढ़	6/08 से 4/09	—
7	हरदा	6/08 से 4/09	—
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

परिशिष्ट संख्या-34

(पैरा-3.8.1-iv)

खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा न कराई जाने वाले कोषालय/उपकोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4/08 से 3/09
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	4/08 से 3/09
3	श्योपुर	5/08 से 3/09
4	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	4/08 से 3/09
5	अनूपपुर	5/08 से 5/09
6		
7		
8		
9		

10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

परिशिष्ट संख्या-35

(पैरा-3.8.2)

बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों की निर्धारित समयावधि के पश्चात वापस न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लंबित पैकेटों की संख्या
1	शिवपुरी तथा पिछोर	33
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	131
3	श्योपुर	72
4	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	310
5	पन्ना तथा शाहनगर	26
6	अशोकनगर तथा मुंगावली	271
7	गुना तथा राधौगढ़	348
8	कटनी	267
9	हरदा	36
10	अनूपपुर	04
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		

परिशिष्ट संख्या-36

(पैरा-3.8.3)

कोषालय के दृढकक्ष में विभाग द्वारा रखे गये दोहरी चाबियों के पैकेट्स नियमानुसार वापस न होना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लंबित पैकेटों की संख्या
1	शिवपुरी तथा पिछोर	64
2	श्योपुर	19
3	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	27
4	पन्ना तथा शाहनगर	17
5	अशोकनगर तथा मुंगावली	12
6	गुना तथा राधौगढ़	08
7	कटनी	20
8	अनूपपुर	15
9		
10		

11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

परिशिष्ट संख्या-37

(पैरा-3.9.2)

मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

स. क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि	मुद्रांकों के अधिक भण्डारण की राशि			
			अदालती	गैर अदालती	अन्य	योग
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4/08 से 3/09	10295545	24836095	—	35131640
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	4/08 से 3/09	442280	1681200	11158703	13282183
3	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	4/08 से 3/09	1493638	11342214	500358	13336210
4	पन्ना तथा शाहनगर	6/08 से 4/09	6120520	74929300	15542746	96592566
5	गुना तथा राधौगढ़	6/08 से 4/09	—	2306025	443350	2749375
6	कटनी	5/08 से 4/09	—	—	33261838	33261838
7	अनूपपुर	5/08 से 5/09	—	6352789	283913	6636702
8						

9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

परिशिष्ट संख्या-38

(पैरा-3.9.4)

मुद्रांक विक्रेताओं को न्यायिक मुद्रांक जारी कर अनाधिकृत कमीशन प्रदाय करना

स. क.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि	राशि (2009-10)	कुल राशि
1	पन्ना तथा शाहनगर	6/08 से 4/09	30589	155016
2	कटनी	5/08 से 4/09	61020	214360
3	अनूपपुर	5/08 से 5/09	500	500
4				
5				
6				
7				
8				
9				

2				
3				
4				
5				
6				
7				

परिशिष्ट संख्या-42

(पैरा-3.11.3)

माननीय विधायकों से दूरभाष तथा अन्य वसूली न किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	लेखा निरी/व्यय लेखा परीक्षा अवधि	दूरभाष	आवास	कुल
1	अनूपपुर	5/08 से 5/09	1142	—	1142
2					
3					
4					
5					

परिशिष्ट-43

(पैरा-3.11.4)

नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाईल के संधारण में कमियां

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय	लेखा निरीक्षण अवधि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4/08 से 3/09
2	पन्ना तथा शाहनगर	6/08 से 4/09
3		
4		
5		
6		
7		
8		

9		
10		
11		

परिशिष्ट –44

(पैरा-3.11.5)

मृत स्कंध पंजी का सत्यापन न किया जाना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	लेखा निरीक्षण अवधि
1	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	4 / 08 से 3 / 09
2	अशोकनगर तथा मुंगावली	4 / 08 से 4 / 09
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

परिशिष्ट –

(पैरा-)

सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में कमियां

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	लेखा निरीक्षण अवधि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4 / 08 से 3 / 09
2	श्योपुर	5 / 08 से 3 / 09
3	पन्ना तथा शाहनगर	6 / 08 से 4 / 09
4	अनूपपुर	5 / 08 से 5 / 09
5		
6		
7		

8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

परिशिष्ट –

(पैरा-)

कम्प्यूटर प्रणाली में पाई गई विसंगतियां

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय	लेखा निरीक्षण अवधि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4/08 से 3/09
2	भिण्ड तथा अटेर, लहार	4/08 से 3/09
3	श्योपुर	5/08 से 3/09
4	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	4/08 से 3/09
5	पन्ना तथा शाहनगर	6/08 से 4/09
6	अशोकनगर तथा मुंगावली	4/08 से 4/09
7	गुना तथा राधौगढ़	6/08 से 4/09
8	कटनी	5/08 से 4/09
9	हरदा	6/08 से 4/09
10	अनूपपुर	5/08 से 5/09
11		
12		
13		
14		
15		

16		
17		
18		
19		
20		
21		

परिशिष्ट –

(पैरा-)

कम्प्यूटर प्रणाली के संचालन में संरक्षण एवं सुरक्षा का अभाव पाया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय	लेखा निरीक्षण अवधि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4/08 से 3/09
2	शयोपुर	5/08 से 3/09
3	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	4/08 से 3/09
4	अशोकनगर तथा मुंगावली	4/08 से 4/09
5	गुना तथा राधौगढ़	6/08 से 4/09
6	कटनी	5/08 से 4/09
7	अनूपपुर	5/08 से 5/09
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

परिशिष्ट संख्या-

(पैरा-)

परिशिष्ट –

(पैरा-)

भंडार पंजी का सत्यापन न किया जाना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	लेखा निरीक्षण अवधि
1	शिवपुरी तथा पिछोर	4/08 से 3/09
2	अनूपपुर	5/08 से 5/09
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

परिशिष्ट

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कम्प्यूटर मरम्मत पर अनाधिकृत व्यय किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि	कुल राशि
1	श्योंपुर	5/08 से 3/09	26018
2			
3			
4			

5			
6			
7			
8			
9			

परिशिष्ट

क़य आदेशों को विभिक्त कर अनियमित व्यय किया जाना

कोषालय का नाम	क़य माह	क़य की कुल राशि	कैश मेमों की संख्या	स्वीकृतकर्ता अधिकारी
श्योपुर	10 / 08	3300	04	कोषालय अधिकारी

परिशिष्ट

अप्रचलित मद्रांकों का सुदृढ कक्ष में अनावश्यक रखा जाना

कोषालय का नाम	मुद्रांकों का प्रकार	अंतिम लेन देन की तिथि	राशि
श्योपुर	मनोरंजन कर	16.5.02	359200
पन्ना तथा शाहनगर	नानज्यूडिशियल	01.12.07	24150000
अशोकनगर तथा मुंगावली	नानज्यूडिशियल, नोटेरियल, रेवेन्यू, स्पेशल एडेसिव	—	45262808
गुना तथा राधौगढ	शेयर ट्रांसफर, हुण्डी, रेवेन्यू	—	2609220

परिशिष्ट

कोषालय में प्राप्त पेंशन प्रकरणों के पी.पी.ओ. जारी न किया जाना

कोषालय का नाम	लंबित पी.पी.ओ. की संख्या	संबंधित विभागों की संख्या	लंबित अवधि
श्यापुर	05	04	9 माह से 20 माह तक

परिशिष्ट

एक से अधिक व्यक्तिगत जमा खातों का खोला जाना

कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खाताधारकों का नाम	खाता क्रमांक	कुल खातों की संख्या

परिशिष्ट

प्रतिबंधित अवधि में बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के वित्त वर्ष के अंत में देयक प्राप्त कर भुगतान किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	निरीक्षण अवधि	राशि रु.
--------	------------------------	---------------	----------

1			
2	मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	4 / 08 से 3 / 09	316667
3	पन्ना तथा शाहनगर	6 / 08 से 4 / 09	1832300
4	अशोकनगर तथा मुंगावली	4 / 08 से 4 / 09	139911
5			
6			
7			
8			

परिशिष्ट

रोकड़ वही एवं रोकड़ लेखा में दर्शित राजस्व प्राप्तियों में अंतर

कोषालय का नाम	रोकड़वही अनुसार राजस्व प्राप्तियां	रोकड़ लेखा अनुसार राजस्व प्राप्तियां	अंतर
मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	528934149	527817946	1116203
कटनी			

परिशिष्ट

मुद्रांक पंजी एवं मुद्रांक स्टॉक पंजी के अंत शेष में दिनांक 31.3.09 की स्थिति में अंतर

कोषालय का नाम	मुद्रांक पंजी अनुसार शेष	मुद्रांक स्टॉक पंजी अनुसार शेष	अंतर
मुरैना तथा सबलगढ़, जौरा	85062040.50	75028128	10033912.50
अशोकनगर तथा मुंगावली	124028730	124028910	180

परिशिष्ट –

(पैरा-)

रोकड़ पुस्तिका की समीक्षा

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय	लेखा निरीक्षण अवधि
1	गुना तथा राधौगढ़	6/08 से 4/09
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

परिशिष्ट –

(पैरा-)

स्टेशनरी क्रय पंजी की समीक्षा

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय	लेखा निरीक्षण अवधि
1	अशोकनगर तथा मुंगावली	4/08 से 4/09
2	गुना तथा राधौगढ़	6/08 से 4/09
3		
4		
5		
6		
7		

परिशिष्ट संख्या-19

(पैरा-3.5.6)

ए.सी. बिलों के विरुद्ध डी.सी. बिल प्रस्तुत नहीं किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मुख्य शीर्ष एवं राशि		
1	बैतूल	2225	1579725	—
	योग			

परिशिष्ट संख्या-29

(पैरा-3.6.9)

वित्त विभाग की अनुमति/स्वीकृति के बिना शीर्ष 8443-सिविल जमा, 800- अन्य जमा के अंतर्गत राशि स्वीकार करना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मद संख्या	राशि
1	शिवपुरी तथा कोलारस, करैरा, पोहरी	02	51216
2	रायसेन एवं गैरतगंज	04	4820299
3	टीकमगढ़ एवं निवाड़ी	02	235952
4	मोतीमहल कोषालय	—	32600000
5	सिवनी एवं लखनादौन	04	20850
6	सीहोर एवं बुधनी, नसरुल्लागंज	—	2500
			37730817

परिशिष्ट संख्या-

वर्ष 2008-09 में कोषालय द्वारा महालेखाकार कार्यालय में व्यक्तिगत जमा खातों के शेष का अंकमिलान न करना

स.क्र.	कोषालय का नाम	खाताधारकों की संख्या	अंतशेष (राशि)
1	अनूपपुर	3	31007933
2	अशोकनगर	20	80691777
3	बड़वानी	22	129497232
4	बालाघाट	25	9246396
5	बैतूल	29	234254726.51
6	भिण्ड	81	35202037.66
7	भोपाल	23	581985902.75
8	बुरहानपुर	15	20957399
9	छतरपुर	26	454571529
10	छिन्दवाड़ा	36	297201293
11	दमोह	10	33479959.75
12	दतिया	16	169325044
13	देवास	8	52875818
14	धार	24	762059536
15	डिण्डोरी	14	6792289
16	गुना	16	46590042.36
17	ग्वालियर	118	156873597.71
18	हरदा	14	42549694
19	होशंगाबाद	32	45858565
20	इंदौर सिटी	136	1701232531.63
21	इंदौर	17	804006720.25
22	जबलपुर सिटी	45	27719524.44
23	जबलपुर	23	91659531.26
24	झाबुआ	35	51683947
25	खरगोन	24	857346064.65
26	कटनी	47	181063366
27	खण्डवा	50	266295546.35
28	मण्डला	14	58510485
29	मोतीमहल	99	17752852.31
30	मंदसौर	13	80592508

31	मुरैना	596	26026983.60
32	नरसिंहपुर	29	38363250.04
33	नीमच	25	4209913
34	पन्ना	10	8411269.77
35	राजगढ़	12	299956102
36	रतलाम	45	71625138.74
37	रीवा	48	60916199.12
38	रायसेन	21	319097059
39	सागर	52	124814362.06
40	शाजापुर	20	65507415
41	सतना	31	436613792.01
42	सीहोर	18	297260353.21
43	शहडोल	16	(-)20249477
44	सिवनी	25	33054502
45	श्योपुर	12	36546434.40
46	शिवपुरी	28	743560919
47	सीधी	12	355229138
48	टीकमगढ़	16	25738051
49	उज्जैन	39	161664561.84
50	उमरिया	6	226770491
51	वल्लभ भवन (भोपाल)	31	2139336768.43
52	विदिशा	17	222585579
53	विन्ध्याचल भवन	46	1775323034.85
		2190	

परिशिष्ट संख्या-

कोषालयों की सूची जिनमें संधारित निजी निक्षेप खातों में अंतर पाये गये

कोषालय का नाम	संस्था/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	दि. 31.3.09 की स्थिति में महालेखाकार की ब्राडशीट अनुसार शेष	दि. 31.3.09 की स्थिति में खाताप्रशासकों के अवशेष प्रमाण पत्र के अनुसार शेष	अंतर राशि
बुरहानपुर	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपालगर	23056070	10872729	12183341
छिन्दवाड़ा	प्रा0कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय चौरई	(-) 277129	128724	(-)148405
	जिला योजना अधिकारी छिन्दवाड़ा	4144134	2117537	2026597
	वन मण्डल अधिकारी	2738231	747519	1990712

	(पूर्व) छिन्दवाड़ा			
	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिन्दवाड़ा	74143603	82377249	8233646
	जिला शिक्षा अधिकारी छिन्दवाड़ा	2282096	2568682	286586
	अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा	139828	132184	7644
	वन मण्डल अधिकारी (पश्चिम सामान्य) छिन्दवाड़ा	16398575	16436713	38138
	शास० उ०मा० विद्या० लिंगा छिन्दवाड़ा	41098	36098	5000
	जिला कोषालय अधिकारी छिन्दवाड़ा	167913	78267	89746
दतिया	जेल अधीक्षक सर्किल जेल दतिया	216376	226806	10430
ग्वालियर	भाड़ा नियंत्रण अधि०	886188	890942	4754
	अधीक्षक केन्द्रीय जेल ग्वालियर	2585402	4185377	1599975
	कलेक्टर अल्प बचत ग्वालियर गोरखी	46340	133567	87227
	प्रा०शास० कमलाराजा महाविद्यालय	23734131	23379443	354688
	प्राचार्य एल०एल०बी० कॉलेज ग्वालियर	31711992	31549157	162835
खरगोन	जिला कोषालय अधिकारी खरगौन	64234877	43206964	21027913
	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खरगौन	11300	39100	27800
	प्रा०शास०पोलीटेक्निक महाविद्यालय सनावद	834528	997175	162647
खण्डवा	कलेक्टर भू-अर्जन खण्डवा	10569128	2424561	8144567
	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास खण्डवा	(-)575079	निरंक	(-)575079
	वन मण्डल अधिकारी क्षेत्रीय खण्डवा	13576658	13354351	222307
	अधीक्षक जिला जेल खण्डवा	283389	283109	280
	उपसंचालक सामाजिक न्याय खण्डवा	5000	निरंक	5000

	कलेक्टर अल्प बचत खण्डवा	270265	18119	252146
	किराया नियंत्रण अधिकारी खण्डवा	75750	154955	79205
	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नयाहरसूद	80275534	90111450	9835916
शाजापुर	कलेक्टर नाजिर शाजापुर	4222554	1924454	2298100
	अधीक्षक जिला जेल शाजापुर	33802	1038270	1004468
	जिला अल्प बचत शाजापुर	1700424	2816373	1115949
	अधीक्षक उपजेल आगर	564384	48148	516236
योग				